

सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005
पुलिस कमिश्नरेट
लखनऊ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) बी0 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के पुलिस विभाग के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है—

1. पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण—

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन जिला पुलिस का कार्य निहित होगा, जिसके अधीन ऐसा ज़िला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी, या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियंत्रित करने के लिये सशक्त नहीं किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद लखनऊ में जनपद पुलिस, पुलिस आयुक्त लखनऊ के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है। अपर मुख्य सचिव, गृह पुलिस अनुभाग—6, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0—8 / 2020 / 55पी / छ:—पु—6—2020—01 विविध / 2020 दिनांक 13.01.2020 के द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गयी है। जनपद लखनऊ में पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस कमिश्नर कानून एवं व्यवस्था तथा संयुक्त पुलिस कमिश्नर अपराध एवं मुख्यालय, डीसीपी0—09 एडीसीपी—12 तथा 25 एसीपी के पद सृजित किये गये हैं। लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र के थाना बक्शी का तालाब, इटौंजा, मलिहाबाद, निगोहा एवं माल को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0—डी0जी0—1—28(1)2020 दिनांक—14.11.2022 के आदेशानुसार लखनऊ ग्रामीण का विलय करके पुनर्गठन करके 52 पुलिस थानों व एक नवसृजित थाना महिंगवां सहित कुल 53 थानों का गठन पुलिस जिला लखनऊ के रूप में किया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट को अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से क्षेत्र में नियुक्त जेसीपी/डीसीपी/एडीसीपी/एसीपी के अधिकारियों के मध्य उनके कार्यों का वितरण पुलिस कमिश्नर लखनऊ द्वारा दिनांक—15.09.2022 को निम्नानुसार किया गया है—

क्रो सं०	पुलिस अधिकारी का पद नाम	पर्यवेक्षित क्षेत्र	पर्यवेक्षित किये जाने वाले कार्य
1	संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था (J.C.P. LAW & ORDER)	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> • लखनऊ में आगमन करने वाले विभिन्न <u>बीवीआईपी/बीआईपी</u> के स्वागत एवं सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित प्रोटोकॉल सेल से निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेश-निर्देश समय से तैयार कराकर स्वयं अवलोकन करके अपने हस्ताक्षर से निर्गत करायेंगे। अपर पुलिस आयुक्त प्रोटोकॉल एवं सहायक पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था द्वारा इस कार्य हेतु पूर्ण सहयोग किया जायेगा। • <u>कानून-व्यवस्था/यातायात व्यवस्था</u> से सम्बन्धित समस्त सूचनायें समय से प्राप्त कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल/पीएसी बल की मांग व ड्यूटी लगाये जाने से सम्बन्धित कार्यों के अन्तर्गत पुलिस बल आवंटित करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के उत्तरदायी होंगे तथा बाह्य जनपदों में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए मांगे जाने वाले पुलिस बल की ड्यूटी आदि लगाने का कार्य का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करेंगे। • स्थानीय अभिसूचना इकाई से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले इनपुट (<u>Today-Tomorrow</u>) का प्रतिदिन अपने निकट पर्यवेक्षण में पुलिस प्रबन्ध के आदेश-निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। • अभिसूचना मुख्यालय से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली <u>आसूचनाओं</u> को समस्त सम्बन्धित को आदेश निर्गत करते हुए सम्पूर्ण लखनऊ नगर के कानून व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रमों आदि की स्वयं समीक्षा कर समय से तैयार कराकर अपने हस्ताक्षर से निर्गत करेंगे, जिसकी एक प्रति मुझे भी अवलोकनार्थ समय से प्रेषित करेंगे। समस्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ तथा अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल एवं सहायक पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा इस कार्य हेतु पूर्ण सहयोग किया जायेगा। • लखनऊ नगर क्षेत्र में घटित होने वाली किसी भी अपराध जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो अतः ऐसी कोई भी घटना, जिसके सम्बन्ध में अपराध पंजीकृत होने के पश्चात कुछ दिनों तक उनका कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे सभी अपराधों की समीक्षा एवं उचित विवेचना हेतु पर्यवेक्षण संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था द्वारा किया जायेगा। जिस समय सम्बन्धित अपराध का कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रभाव समाप्त होगा(सामान्तर्य: एक सप्ताह) तत्पश्चात उस अपराध की समीक्षा एवं गुणवत्ता पूर्वक विवेचना हेतु पर्यवेक्षण संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय द्वारा किया जायेगा। • लखनऊ नगर में होने वाले विभिन्न <u>आयोजनों/कार्यक्रमों</u> की अनुमति आदि से सम्बन्धित कार्यों का भी पर्यवेक्षण किया जायेगा। • लखनऊ नगर में संचालित यूपी-112 की चार पहिया/दो पहिया गाड़ियों के संचालन रूट चार्ट के अनुसार कराते हुए समस्त ड्यूटियों का भी पर्यवेक्षण करेंगे। • लखनऊ नगर में <u>मीडिया सेल/सोशल मीडिया</u> पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं की समीक्षा कर उनका पर्यवेक्षण करेंगे।

2	संयुक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय एवं अपराध (J.C.P. HEADQUARTERS & CRIME)	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> • मुख्यालय एवं अपराध तथा रिजर्व पुलिस लाइन्स/परिवहन शाखा से सम्बन्धित समस्त इकाईयों/शाखाओं सम्बन्धित मामलों में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायेंगे तथा की गयी कार्यवाही का पर्यवेक्षण करेंगे। • पुलिस उपायुक्त मुख्यालय तथा पुलिस उपायुक्त अपराध एवं अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/अपराध तथा सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध द्वारा उक्त कार्य में पूर्ण सहयोग किया जायेगा एवं निम्नानुसार इकाईयों/शाखाओं का पर्यवेक्षण भी करेंगे। • अपराध शाखा। • साईबर सेल • प्रधान लिपिक शाखा। • आंकिक शाखा। • शिकायत प्रकोष्ठ। • सीसीटीएनएस प्रकोष्ठ। • रिट सेल। • वेरीफिकेशन सेल। • लोक शिकायत प्रकोष्ठ। • मानवाधिकार प्रकोष्ठ। • आईजीआरएस शाखा। • जनसूचना प्रकोष्ठ। • वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ। • अभियोजन शाखा। • सम्मन सेल। • विशेष जांच प्रकोष्ठ। • पैरवी प्रकोष्ठ। • मानीटरिंग सेल। • विशेष किशोर पुलिस इकाई। • डीसीआरबी। • एएचटीयू। • गुमशुदगी सेल। • मॉडस ऑपरेंटी सेल। • एनएएफआई सेल। • एनआरआई सेल। • सी.एम. हेल्प लाइन। • लखनऊ नगर के समस्त थानों/अपराध शाखा में लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में नियमित ३०आर० करेंगे तथा समस्त पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस उपायुक्तगणों के द्वारा किये गये ३०आर० का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण करते हुए लम्बित विवेचनाओं का निर्धारित समय के अन्दर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। • लखनऊ नगर में फायर सर्विस से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करते हुए समय—समय पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करेंगे।
3	पुलिस उपायुक्त(D.C.P.)	नगर पूर्वी	<ul style="list-style-type: none"> • नगर पूर्वी क्षेत्र के थानों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
4	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.)	नगर पश्चिमी	<ul style="list-style-type: none"> • नगर पश्चिमी क्षेत्र के थानों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
5	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.)	नगर उत्तरी	<ul style="list-style-type: none"> • नगर उत्तरी क्षेत्र के थानों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
6	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.)	नगर दक्षिणी	<ul style="list-style-type: none"> • नगर दक्षिणी क्षेत्र के थानों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।

7	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.)	नगर मध्य	<ul style="list-style-type: none"> नगर मध्य क्षेत्र के थानों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। लखनऊ नगर में संचालित युपी-112 की चार पहिया/दो पहिया गाड़ियों के संचालन रूट चार्ट के अनुसार कराते हुए समस्त ड्रूटियों का भी पर्यवेक्षण करेंगे। लखनऊ नगर में <u>मीडिया सेल/सोशल मीडिया</u> पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं की समीक्षा कर उनका पर्यवेक्षण करेंगे।
8	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.) पुलिस लाइन्स	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन्स/यातायात पुलिस लाइन्स/परिवहन शाखा से सम्बन्धित निम्नानुसार इकाईयों/शाखाओं का पर्यवेक्षण भी करेंगे:- शिकायत प्रकोष्ठ। सीसीटीएनएस प्रकोष्ठ। लोक शिकायत प्रकोष्ठ। आईजीआरएस शाखा। एनआरआई सेल। सी.एम. हेल्प लाइन। जनसूचना प्रकोष्ठ आदि शाखाओं के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करके आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायेंगे। इस कार्य में अपर पुलिस उपायुक्त लाइन्स एवं सहायक पुलिस आयुक्त लाइन्स द्वारा इनका सहयोग किया जायेगा। संयुक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय एवं अपराध के निर्देशन में लखनऊ नगर में <u>फायर सर्विस</u> से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करते हुए समय-समय पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करेंगे।
9	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.)यातायात	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था के निर्देशन में लखनऊ नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में यातायात नियंत्रण एवं सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
10	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.) मुख्यालय, अपराध, महिला अपराध एवं सुरक्षा	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय के निर्देशन में सम्पूर्ण क्षेत्र में घटित विभिन्न अपराधों की समीक्षा कर अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही कराये जाने तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों पर अपेक्षित नियंत्रण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त निम्नानुसार शाखाओं/ इकाईयों का भी पर्यवेक्षण करेंगे:- प्रधान लिपिक शाखा। आकिक शाखा। रिट सेल। वैरीफिकेशन सेल। अपराध शाखा। साईबर सेल सर्विलास सेल। डी.सी.आर.बी। ए.एच.टी.यू। विशेष किशोर पुलिस इकाई। गुपशुद्धारी सेल। मॉडस ॲपरेंडी सेल। ए.ए.एफ.आई.एस. सेल। फील्ड यूनिट। विशेष जांच प्रकोष्ठ। पैरवी प्रकोष्ठ। मानीटरिंग सेल। वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ। अभियोजन शाखा, सम्मन सेल एवं मानवाधिकार प्रकोष्ठ। संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय के निर्देशन में लखनऊ नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में महिलाओं के प्रति घटित होने वाले सभी अपराधों की समीक्षा कर उनकी रोकथाम एवं महिलाओं की समस्याओं का त्वरित नियन्त्रण कराये जाने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध व महिला सहायता प्रकोष्ठ/महिला आयोग प्रकोष्ठ/महिला सम्मान कोष द्वारा किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जायेगा।

11	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.) अभिसूचना एवं सुरक्षा	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> अभिसूचना एवं सुरक्षा शाखा तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा महत्वपूर्ण अभिसूचनाओं से मुझे व जेसीपी कानून एवं व्यवस्था/जेसीपी मुख्यालय एवं अपराध सहित समस्त सम्बन्धित को समय से अवगत करायेंगे एवं विभिन्न महानुभावों की सुरक्षा तथा विधानसभा एवं सचिवालय सुरक्षा व मा० हाईकोर्ट सुरक्षा सहित मा० अधीनस्थ न्यायालयों को सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा करके तदनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।
12	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त नगर पूर्वी	<ul style="list-style-type: none"> नगर पूर्वी क्षेत्र के थानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने में पुलिस उपायुक्त नगर पूर्वी का सहयोग करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय के पर्यवेक्षण में पुलिस लाइन्स के कार्यों में अपेक्षित सहयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
13	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त नगर पश्चिमी	<ul style="list-style-type: none"> नगर पश्चिमी क्षेत्र के थानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने में पुलिस उपायुक्त नगर पश्चिमी का सहयोग करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
14	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त नगर उत्तरी	<ul style="list-style-type: none"> नगर उत्तरी क्षेत्र के थानों के कार्यों का पर्यवेक्षण किये जाने में पुलिस उपायुक्त नगर उत्तरी का सहयोग करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
15	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त नगर दक्षिणी / अतिरिक्त प्रभार अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा	<ul style="list-style-type: none"> नगर दक्षिणी क्षेत्र के थानों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगी तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय/पुलिस उपायुक्त, महिला अपराध एवं सुरक्षा के निर्देशन में लखनऊ नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में महिलाओं के प्रति घटित होने वाले सभी अपराधों की समीक्षा कर उनकी रोकथाम एवं महिलाओं की समस्याओं का त्वरित निरस्तारण कराये जाने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगी तथा सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध व महिला सहायता प्रकोष्ठ/महिला आयोग प्रकोष्ठ/महिला सम्मान कोष द्वारा किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जायेगा।
16	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त नगर मध्य	<ul style="list-style-type: none"> नगर मध्य क्षेत्र के थानों के कार्यों का पर्यवेक्षण किये जाने में पुलिस उपायुक्त नगर मध्य का सहयोग करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
17	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध/पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय के निर्देशन में मुख्यालय से सम्बन्धित समस्त इकाईयों/शाखाओं(प्रधान लिपिक शाखा) के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करके आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायेंगे। सहायुक्त पुलिस आयुक्त, कार्यालय द्वारा इनका सहयोग किया जायेगा। लखनऊ नगर में संचालित यूपी-112 की चार पहिया/दो पहिया गाड़ियों के संचालन रूट चार्ट के अनुसार कराते हुए समस्त ड्यूटीयों आदि में पुलिस उपायुक्त मध्य का सहयोग करेंगे।
18	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त यातायात	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था/पुलिस उपायुक्त यातायात के निर्देशन में लखनऊ नगर क्षेत्र में यातायात नियंत्रण एवं सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस उपायुक्त यातायात का सहयोग करेंगे तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
19	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	विधानसभा एवं सचिवालय सुरक्षा	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था/डीसीपी अभिसूचना एवं सुरक्षा के निर्देशन में विधानसभा एवं सचिवालय सुरक्षा तथा विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों को समय से सम्पादित करायेंगे तथा ऐसे सभी कार्यों का पर्यवेक्षण भी करेंगे।
20	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	मा० हाईकोर्ट सुरक्षा	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था/डीसीपी अभिसूचना एवं सुरक्षा के निर्देशन में मा०उच्च न्यायालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों को समय से सम्पादित करेंगी तथा ऐसे सभी कार्यों का पर्यवेक्षण भी करेंगे।
21	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त अपराध एवं स्टॉफ ऑफिसर, पुलिस आयुक्त लखनऊ	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय/पुलिस उपायुक्त अपराध के निर्देशन में लखनऊ नगर क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, साईबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही कराये जाने में पुलिस उपायुक्त अपराध का सहयोग करेंगे तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों पर अपेक्षित नियंत्रण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। पुलिस आयुक्त, लखनऊ के स्टॉफ ऑफिसर के समस्त दायित्वों का नियंत्रण करेंगे।

44	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त साइबर सेल / अतिरिक्त प्रभार सहायक पुलिस आयुक्त अपराध	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय/पुलिस उपायुक्त अपराध के निर्देशन में लखनऊ नगर क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही कराये जाने में पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त अपराध का सहयोग करेंगे तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों पर अपेक्षित नियंत्रण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय/पुलिस उपायुक्त अपराध के निर्देशन में लखनऊ नगर में साइबर अपराधों की रोकथाम से सम्बन्धित समस्त शिकायतों का समयबद्ध रूप से निर्स्तारण एवं अनावरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
45	पुलिस उपाधीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई (प्रज्ञान)	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था / डीसीपी अभिसूचना एवं सुरक्षा के निर्देशन में अभिसूचना एवं सुरक्षा शाखा तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा महत्वपूर्ण अभिसूचनाओं से मुझे व जेसीपी कानून एवं व्यवस्था / जेसीपी मुख्यालय एवं अपराध सहित समस्त सम्बन्धित को समय से अवगत करायेंगे एवं विभिन्न महानुभावों की सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा कराकर तदनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।
46	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त लेखा(आंकिक)	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय/डीसीपी मुख्यालय के निर्देशन में आंकिक शाखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के देयकों का समय से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करायेंगे।
47	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय/पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय के निर्देशन में मुख्यालय से सम्बन्धित समस्त इकाईयों/शाखाओं के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करके आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायेंगे।
48	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था/पुलिस उपायुक्त मुख्यालय के निर्देशन में लखनऊ नगर की कानून-व्यवस्था बनाये रखने के अतिरिक्त प्रोटोकाल सेल के दायित्वों का भी निर्वहन किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था के निर्देशन में कार्य करेंगे।

उपरोक्त समस्त अधिकारीगण उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवंटित उत्तरदायित्व का निर्वहन तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में अधिकारियों के स्थानान्तरण की दशा में यह आदेश पदनाम से प्रभावी रहेगा।

संख्या: सीए/सीपी- 13/2022 / 1950

दिनांक: सितम्बर 15, 2022

(एस०बी० शिशुकर
पुलिस आयुक्त,
लखनऊ।)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— समस्त संयुक्त पुलिस आयुक्त / डीसीपी / एडीसीपी / एसीपी लखनऊ।
- 2— संयुक्त निदेशक अभियोजन, लखनऊ।
- 3— मुख्य अनिश्चयन अधिकारी, लखनऊ।
- 4— सहायक रेडियो अधिकारी, लखनऊ।
- 5— पुलिस उपाधीक्षक(अभिसूचना), लखनऊ।
- 6— प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाईन, लखनऊ।
- 7— प्रतिसार निरीक्षक परिवहन शाखा, लखनऊ।
- 8— समस्त प्रभारी निरीक्षक, लखनऊ।
- 9— समस्त शाखा प्रभारी, लखनऊ।
- 10— वाचक-पुलिस आयुक्त/प्रधान लिपिक / आंकिक, लखनऊ।
- 11— वाचक, न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
- 12— प्रभारी नगर नियंत्रण कक्ष, लखनऊ।
- 13— प्रभारी फील्ड यूनिट, लखनऊ।

1.1 कमिशनरेट लखनऊ में पुलिस का संगठन

शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना सं0—1983पी/छ:-पु0—06—2022—01 विविध/2020 दिनांक—04.11.2022 द्वारा 02 पुलिस जिले यथा लखनऊ नगर और लखनऊ ग्रामीण का विलय करके पुनर्गठन करके 52 पुलिस थानों सहित पुलिस जिला लखनऊ के रूप में किया गया है। 01 नवसृजित थाना महिगांव सहित वर्तमान में 53 पुलिस थाने हैं। पुलिस कमिशनरेट लखनऊ को 05 जोन में विभक्त किया गया है। जिनका विवरण व संगठन निम्न प्रकार है—

क्र0सं0	कार्यक्षेत्र	कार्यक्षेत्र	कार्यक्षेत्र	नाम थाना
1	पुलिस उपायुक्त पश्चिमी	अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी	सहायक पुलिस आयुक्त चौक	चौक
			सहायक पुलिस आयुक्त ठाकुरगंज	ठाकुरगंज
			सहायक पुलिस आयुक्त वजीरगंज	वजीरगंज
			सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला	बाजारखाला
			सहायक पुलिस आयुक्त सआदतगंज	सआदतगंज
			सहायक पुलिस आयुक्त तालकटोरा	तालकटोरा
			सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद	मलिहाबाद
			सहायक पुलिस आयुक्त रहीमाबाद	रहीमाबाद
			सहायक पुलिस आयुक्त माल	माल
			सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी	काकोरी
2.	पुलिस उपायुक्त पूर्वी	अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी	सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट	कैण्ट
			सहायक पुलिस आयुक्त पी०जी०आई०	आशियाना
			सहायक पुलिस आयुक्त आलमबाग	आलमबाग
			सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर	गोमतीनगर
			सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर विस्तार	गोमतीनगर विस्तार
			सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड	विभूतिखण्ड
3.	पुलिस उपायुक्त उत्तरी	अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी	सहायक पुलिस आयुक्त बी०के०टी०	बी०के०टी०
			सहायक पुलिस आयुक्त इटौंजा	इटौंजा
			सहायक पुलिस आयुक्त सैरपुर	सैरपुर
			सहायक पुलिस आयुक्त महिगांव	महिगांव
			सहायक पुलिस आयुक्त महिला थाना द्वितीय	महिला थाना द्वितीय
			सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज	अलीगंज
				मड़ियांव

				जानकीपुरम
4.	पुलिस उपायुक्त दक्षिणी	अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी	सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर	गजीपुर
				गुडम्बा
				इन्दिरानगर
				विकासनगर
5.	पुलिस उपायुक्त मध्य	अपर पुलिस उपायुक्त मध्य	सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
				नगराम
				निगोहा
			सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज	गोसाईगंज
				सुशान्त गोल्फ सिटी
				कृष्णानगर
			सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर	सरोजनीनगर
				बन्धरा
				बिजनौर
				हजरतगंज

1.2 पुलिस कमिशनरेट लखनऊ में स्थित विभिन्न इकाईयों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी—बिन्दु सं0-01 में अंकित है।

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधि0 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है, कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करें। लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों एवं लोक न्यूसेंस का निवारण करें, अपराधियों का पता लगायें और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

1.3 अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-6 के अधिसूचना संख्या-7 / 2020 / 53पी / छ:-पु-6-2020-01-विविध / 2020 दिनांक 13.01.2020 द्वारा

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम सं0–02 1947) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अधीन अग्रेतर आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 अध्याय 08 व अध्याय 10 के प्रयोजन के लिये लखनऊ नगर में तैनात संयुक्त पुलिस आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त, अपर उपपुलिस आयुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं। सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज व सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर द्वारा अपने अपने क्षेत्र को छोड़कर लखनऊ महानगरीय क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 से 124 तथा 133 से 143 एवं 145 से 148 के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किये जाने हेतु नामित किया गया है। पुलिस आयुक्त के अतिरिक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त, अपर उपपुलिस आयुक्त द्वारा अपने अधिकारिता के अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रयोग किया जायेगा।

2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तिया एवं कर्तव्यः—

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द0प्र0सं0, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं —

2.1 पुलिस अधिनियम—

धारा	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तिया एवं कर्तव्य
7	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है, जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें।
17	विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शान्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो, तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है।
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है।
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निष्पादन करें, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें, अपराधियों का पता लगायें तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करें, जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआ घर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा।
25	लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे।
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की

	शक्ति ।
30क	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव को रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति ।
31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य ।
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का बध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहँचाने, मार्ग पर गन्दगी व कुड़ा फेकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर, किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले लें ।
34क	उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है ।
47	ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व ।

2.2 पुलिस रेगुलेशन:-

प्रस्तर	कर्तव्य
12 से 16 पुलिस अधीक्षक	<p>पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हे स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तदनुरूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेंशनर्स से उनका संपर्क होना चाहिए और उन्हें विर्निदिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।</p> <p>पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपें जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबंधित अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।</p>
17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध व बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।

24 रिजर्व सबइंस्पेक्टर	रिजर्व सब इन्स्पेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं।
40 से 43 सर्किल इंस्पेक्टर	सर्किल इंस्पेक्टर के कर्तव्यों के संबंध में उल्लेख है, जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य जांच पड़ताल की देख—भाल और अपराध का निवारण करना, पुलिस क्षेत्र में निवारक और अनुवेषण कार्यों में सामन्जस्य रखना, थानों का निरीक्षण करना, सभी महत्वपूर्ण विषयों, घटना स्थलों का निरीक्षण व अन्वेषण में मार्गदर्शन करना, स्वयं अन्वेषण करना, क्षेत्र की मासिक रिपोर्ट तैयार करना, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आवश्यक घटना की सूचना देना, लाइन्सेसी दुकानों का निरीक्षण करना, अधिनस्थ पुलिस के आचरण की निगरानी करना, अपराधों का दमन और सामन्जस्य बनाये रखने के उत्तरदायित्व से निरन्तर आबद्ध रहना। (वर्तमान में सर्किल इंस्पेक्टर का पद विभाग में नहीं है इन कार्यों का निर्वहन सहायक पुलिस आयुक्तके द्वारा यथा निर्देशित रूप में किया जाता है।)
43 से 50 थानाध्यक्ष	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्टरों, अभिलेखों, विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए अधिनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कांस्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफ्तीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे।
51 द्वितीय अधिकारी	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना, भारसाधक अधिकारी द्वारा सौपे गये समस्त निर्देशों को अधिनस्थों को बताना, अन्वेषण करना होता है।
55 हेड मोहर्रिं	हेड मोहर्रिं के कर्तव्यः— 1—रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। 2— हिन्दी रोकड़ बही (पुलिस फार्म नम्बर 224) 3— यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दें तो धारा 174 द०प्र०स० के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।
61 से 64 बीट आरक्षी	कान्स० नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना है। थाने पर सन्तरी ड्यूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों, कोश तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स० के रूप में संदिग्ध अपराधियों, फरार अपराधी तथा खानाबदोश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।
65 से 69 सशस्त्र पुलिस बल	सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
79 से 83	घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का कार्य किया

घुडसवार	जाता है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफतार कराने का दायित्व होता है।

2.3 दण्ड प्रक्रिया सहितः—

द०प्र०स० की धारा	अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य
36	पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
41	बिना वारण्ट की गिरफतारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियाँ। 1. संज्ञेय अपराध की दशा में। 2. कब्जे से गृह भेदन का उपकरण। 3. उद्घोषित अपराधी। 4. चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना। 5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा। 6. सशस्त्र बलों का भगोड़ा। 7. भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध। 8. छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर। 9. वांछित अपराधी।
42	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफतारी।
47	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफतारी की जानी है।
48	गिरफतार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफतार करने की शक्ति।
49	गिरफतार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
50	गिरफतार किये गये व्यक्ति को गिरफतार के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
51	गिरफतार किये गये व्यक्तियों की तलाशी।
52	गिरफतार किये गये व्यक्ति से अकामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति।
53	पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
54	गिरफतार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।

56	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
57	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना।
58	बिना वारण्ट गिरफ्तारारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।
60	अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार की शक्ति।
100	बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, तलाशी लेने देंगे।
102	ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो।
129	उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को, पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की शक्ति।
130	ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।
131	जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति।
132	धारा 129, 130, 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण।
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
150	संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।
152	लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार।
153	खोटे बॉट मापों का निरीक्षण/ अधिग्रहण।
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशा—नुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संबंधित पुस्तिका में प्रविष्ट करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।
156	संज्ञेय मामलों अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
160	अन्वेषण के अनन्तर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
161	पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति।
165	अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रायोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जफ़्ती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।
166	अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति।
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।

170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।
172	अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना।
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।
174	आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रायोजन से व्यक्तियों को समन करने की शक्ति।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानवाधिकार सम्बन्धी निर्देश—

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी०के० बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के वाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये हैं।

1. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टिका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।
2. गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निःशुल्क दी जायेगी।
3. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट संबंधी को दी जायेगी।
4. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
5. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के संबंध में सूचित करने वह अधिकृत है।
6. गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
7. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
8. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।

9. गिरफ्तारी के सभी अभिलेखों की प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएंगी।
10. जांच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
11. गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व—

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के परिपत्र सं0—35 / 2005 दिनांक 09.07.2005 के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

2.5.1 कर्तव्य—

2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही सम्बन्धी—

1. संगठित अपराधियों तथा भाडे पर हत्या, फिराती हेतु अपहरण, रोड होल्डअप, बैंक डकैती, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व, माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्संबंधी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हें पंजीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।
2. पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।
3. संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
4. संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी होने पर विस्तृत पूछ-तॉछ आख्या तैयार करना।

2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी संबंधी—

1. सक्रिय एवं वांदित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलवाना, गरफ्तारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबिश दिलवाना।
2. फ्राड अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

2.5.1.3 अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण —

1. पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण हेतु स्रोत बनाना।
2. जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।

3. जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।
4. अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रीकरण।

2.5.1.4 विशेष अपराधों के संबंध में—

1. समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।
2. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।
3. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस0आर0 केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती, फिरौती, अपहरण, हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैगस्टर एकट के केसों को छोड़कर शेष समस्त एस0आर0 केस की क्रमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

य—क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

र—फिक्स पिकेट एवं गश्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।

ल—क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह मे एक बार अर्दली रूम करना।

2.5.1.5 अभियोजन

न्यायालय में लंबित वादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिं की मासिक बैठक तथा सेशन ट्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का विश्लेषण करना।

2.5.2 अपर पुलिस अधीक्षकों के अधिकार—

2.5—उपरोक्तानुसार

2.5.2.1 स्थानान्तरण संबंधी—

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एक—252—84 दिनांक: 08. 01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु सं0 4 में निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के संबंध में की जायेगी।

2.5.2.2. वार्षिक मन्तव्य—

शासनादेश संख्या: 1460 / छ:-पु—1—99—51 / 99 के अनुसार वार्षिक मन्तव्य का अंकन करना।

2.5.2.3. दण्ड सम्बन्धी—

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच करायी जा सकती है परन्तु जांच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली (प्रारंभिक जांच) खुलवाने का अधिकार जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ही होगा।

2.6 संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्य—

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय-समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशा-निर्देशन प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर—

3.1 अनुसंधान एवं विवेचना:-

क्र0स0	कार्यवाही	कार्य स्तर	अवधि
1	प्र0सू0रि0 का पंजीकरण	154 द0प्र0सं0 के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	अविलम्ब
2	साक्षियों का परीक्षण	161 द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
3	अन्वेषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
4	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	विशेष अपराधों की स्थिति में संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।	यथाशीघ्र
5	साक्ष्य का संकलन	द0प्र0सं0 के अनुसार	कार्यवाही यथाशीघ्र
6	नक्शा नज़री तैयार करना	द0प्र0सं0 के अनुसार	निरीक्षण के समय
7	अभियुक्तों की गिरफ्तारी	द0प्र0सं0 के अनुसार	"
8	संस्वीकृति का लिखा जाना	" "	"

9	पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना	"	"	"
10	तलाशी	"	"	"
11	निरुद्धि	"	"	"
12	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	"	"	"
13	आरोप पत्र का दाखिल करना	"	"	"

3.2 नियंत्रण कक्ष—

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के नियंत्रण कक्ष कमाण्ड पर कण्ट्रोल संघटक के रूप में कमिश्नरेट के तंत्रिका तंत्र की तरह कार्य करता है, जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करता है, तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक निर्देश देता है। बाढ़ व अन्य दैवीय आपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। कमिश्नरेट लखनऊ में वर्तमान समय में निम्नलिखित नियंत्रण कक्ष स्थापित हैं।

क्र0सं0	नियंत्रण कक्ष	टेलीफोन नं0	कार्य
1.	पुलिस कमिश्नरेट पुलिस लाइन लखनऊ।	9454458171	पुलिस लाइन लखनऊ में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष में कुल 07 चैनल कार्य कर रहे हैं। जोन उत्तरी चैनल-1, जोन पूर्वी चैनल-2, जोन दक्षिणी चैनल-3, जोन पश्चिमी चैनल-4, जोन मध्य चैनल-5, जोन यातायात चैनल-6 तथा जोन अधिकारी चैनल-11 के रूप में कार्यरत हैं। समस्त अधिकारीगण एवं पुलिस स्टेशन के पुकार के नाम (काल साइन) नामांकित हैं। नियंत्रण कक्ष से समस्त अधिकारीगण एवं थानाध्यक्ष एवं थाना कार्यालय आर0/टी0 सेट, टेलीफोन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। जिनसे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है।
2.	यातायात नियंत्रण कक्ष	0522-2483800 0522-2481009 7311196195	यातायात नियंत्रण कक्ष से पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, निरीक्षक, उपनिरीक्षक यातायात

			जुड़े हैं। यातायात नियंत्रण कक्ष से जनपद लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से आवागमन करने में नियंत्रण रखती है।
--	--	--	---

इन नियंत्रण कक्षों पर 24 घण्टे एवं 07 दिन कण्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है। नियंत्रण कक्ष पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लाग बुक में लाग किया जाता है, तथा सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है। वर्षाकाल, बाढ़ एवं अन्य दैवीय आपदाओं में नियंत्रण कक्ष की भी व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाती है।

3.3 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

3.3.1 थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया—

क्र0स0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही समयावधि
1	थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	थानाध्यक्ष / दिवसाधिकारी / उपस्थित कां0 कलर्क द्वारा	तत्काल
2	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना	दिवसाधिकारी / उपस्थित कां0 कलर्क द्वारा	अविलंब
3	प्रार्थना पत्र को जनशिकायत रजिस्टर में अंकित करना	उपस्थित कां0 कलर्क द्वारा	अविलंब
4	जाँच अधिकारी नियुक्त करना व जाँच हेतु सौंपना	थाना प्रभारी द्वारा	1 दिवस
5	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जाँच अधिकारी द्वारा	5 दिवस में
6	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा	1 दिवस
7	जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही, यदि आवश्यक हो, कराना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलंब
8	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित कां0 कलर्क द्वारा	01 वर्ष तक

3.3.2 पुलिस आयुक्त लखनऊ कार्यालय में डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र0स0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही समयावधि
1	कमिशनरेट लखनऊ कार्यालय की प्रधान लिपिक शाखा में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
2	कमिशनरेट लखनऊ कार्यालय द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी (सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय) द्वारा लिफाफे	निमित्त राजपत्रित अधिकारी (सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय) द्वारा	1 दिवस

	को खोला जाना		
3	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	1 दिवस
4	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
5	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जाँच हेतु भेजना	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा	2 दिवस
6	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा	अविलम्ब
7	सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच करना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक / बीट आरक्षी को जाँच हेतु भेजना।	थानाध्यक्ष द्वारा	2 दिवस
8	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना।	जाँच अधिकारी द्वारा	8 दिवस में सामान्यतया
9	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त को प्रेषित करना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब
10	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा जाँच सही पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट को दाखिल दफतर किया जाना	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा	अविलम्ब
11	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.3.3 पुलिस आयुक्त लखनऊ कार्यालय में शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र०स०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही समयावधि
1	पुलिस आयुक्त लखनऊ कार्यालय में आवेदक के प्रार्थना पत्र का परिशीलन करके संबंधित पुलिस उपायुक्त / अपर पुलिस उपायुक्त / सहायक पुलिस आयुक्त या थानाध्यक्ष को जाँच हेतु आदेशित करना	पुलिस आयुक्त लखनऊ / नोडल अधिकारी द्वारा	1 दिवस
2	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब

	में अंकित करना व संबंधित को जांच हेतु प्रेषित करना		
3	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त / थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वयं जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त / थानाध्यक्ष द्वारा	07 दिवस में सामान्यतया
4	सहायक पुलिस आयुक्त / थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना	सहायक पुलिस आयुक्त / थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा	अविलम्ब
5	पुलिस आयुक्त द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर संबंधित को रिपोर्ट प्रेषित करना	पुलिस आयुक्त द्वारा	2 दिवस
6	जांच रिपोर्ट का रखरखाव	पुलिस आयुक्त के गोपनीय सहायक के कां० कलर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.3.4 पुलिस कमिशनरेट लखनऊ में अग्निशमन नियमन—

पुलिस कमिशनरेट लखनऊ में फायर सर्विस का संचालन निम्न प्रकार किया जाता है—

3.3.4.1 फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया—

क्र० स०	प्रतिष्ठान	पत्र/आदेश प्राप्ति का स्थान	निरीक्षण (द्वारा)	समयावधि
1	पैट्रोल / डीजल पम्प	जिलाधिकारी कार्यालय	अग्निशमन अधिकारी द्वारा	15 दिवस
2	पेटी / डीलर (फुटकर पैट्रोल / डीजल)	जिलाधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
3	गैस एजेन्सी	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
4	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
5	सिनेमा हाल	जिलाधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
6	होटल / रेस्टोरेन्ट / धर्म शाला	जिलाधिकारी कार्यालय / भवन स्वामी या प्रबन्धक के द्वारा प्राप्त आनलाइन आवेदन पत्र	उपरोक्त	उपरोक्त
7	व्यवसायिक भवन	भवन स्वामी / प्रबन्धक के द्वारा प्राप्त आनलाइन आवेदन पत्र	उपरोक्त	उपरोक्त
8	शीतगृह	जिलाधिकारी कार्यालय / भवन स्वामी या प्रबन्धक के द्वारा प्राप्त आनलाइन आवेदन पत्र	उपरोक्त	उपरोक्त
9	फैकट्री	भवन स्वामी या प्रबन्धक के	उपरोक्त	उपरोक्त

	द्वारा प्राप्त आनलाइन आवेदन पत्र	
--	----------------------------------	--

नोट—समस्त भवनों के किसी भी प्रकार के अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु भवन के अधिभोग के अनुरूप उ0प्र0 फायर सर्विस की वेबसाइट www.upfireservice.gov.in/ www.niveshmitra.up.nic.in के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण किया जाता है।

3.3.4.2 पुलिस कमिशनरेट लखनऊ में कार्यरत फायर सर्विस स्टेशन (नियंत्रण कक्ष) पर नियंत्रण सम्बन्धी सूचना:-

फायर स्टेशन/नियंत्रण कक्ष	टेलीफोन नम्बर/सी0य०जी0 /ई—मेल आईडी0	कार्य
मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद लखनऊ	0522—2614444 कार्यालय 0522—2629650 आवासीय 9454418344 सी0य०जी0	जनपद का मुख्य अग्निशमन केन्द्र है
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन हजरतगंज लखनऊ	9454418641	हजरतगंज जनपद लखनऊ का मुख्य अग्निशमन केन्द्र है व उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के कारण शहर के अन्य फायर स्टेशन नवसृजित फायर स्टेशन अग्निशमन केन्द्र हजरतगंज के वाचरूम (नियंत्रण कक्ष) में एक अधिकारी 24 घण्टे उपलब्ध रहता है। फायर स्टेशन पर जनपद मे होने वाली अग्नि दूर्घटना जीव रक्षा एवं अन्य देवीय आपदाओं की सूचनाओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उपलब्ध वाहनों/ स्टाफ (यूनिट) को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त शहर के फाउण्डीनगर क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी रूप से 19 फायर यूनिट स्थापित की गयी है।
फायर स्टेशन हजरतगंज लखनऊ	0522—2622222 9454418642 fsohaz.lu-up@gov.in	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2733/ छः—पु0—8—12—801(4)/2011 दिनांक 12.11.2012 के द्वारा की जा चुकी है।

अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन चौक लखनऊ	9454418643	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2733 / छः—पु0— 8—12—801(4) / 2011 दिनांक 12.11. 2012 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन चौक लखनऊ	0522—2253100 9454418644 fsochow.lu-up@gov.in	" "
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन पी0जी0आई0 लखनऊ	9454418645	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2733 / छः—पु0— 8—12—801(4) / 2011 दिनांक 12.11. 2012 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन पी0जी0आई0 लखनऊ	0522—2668111 9454418646 fsosgp.lu-up@gov.in	" "
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन आलमबाग लखनऊ	9454418647	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2733 / छः—पु0— 8—12—801(4) / 2011 दिनांक 12.11. 2012 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन आलमबाग लखनऊ	0522—2455555 9454418648 fsoalam.lu-up@gov.in	" "
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन इन्दिरानगर लखनऊ	9454418649	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 831 / छः—पु0— 8—95—30 / 93 दिनांक 28.09.1995 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन इन्दिरानगर लखनऊ	0522—2348100 9454418650 fsoind.lu-up@gov.in	" "
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन बी0के0टी0 लखनऊ	2960707 9454418651	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2733 / छः—पु0— 8—12—801(4) / 2011 दिनांक 12.11. 2012 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन बी0के0टी0 लखनऊ	9454418652 fsobkt.lu-up@gov.in	" "
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन गोमतीनगर लखनऊ	9454418657	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 576 / छः—पु0— 8—9—02(स्थापना) / 07 दिनांक 24.02. 2009 के द्वारा की जा चुकी है।

फायर स्टेशन गोमतीनगर लखनऊ	0522—2306675 9454418658 fsogom.lu-up@gov.in	" "
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन सरोजनीनगर लखनऊ	9454418655	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 260 / छः—पु0—8—08—02(स्थापना) / 07 दिनांक 25.01.2008 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन सरोजनीनगर लखनऊ	9454418656 fsosaro.lu-up@gov.in	" "
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, फायर स्टेशन राजभवन लखनऊ	9454418653	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1718 (1) / छः—पु0—8—2006 दिनांक 18.07.2006 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन राजभवन लखनऊ	9454418654	" "
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, फायर स्टेशन हाईकोर्ट लखनऊ	9454418704	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2733 / छः—पु0—8—12—801(4) / 2011 दिनांक 12.11.2012 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन हाईकोर्ट लखनऊ	9454418705	" "

3.3.5 कमिश्नरेट लखनऊ में यातायात नियम:—

कमिश्नरेट लखनऊ में यातायात नियमों का पर्यवेक्षण पुलिस उपायुक्त यातायात लखनऊ द्वारा निम्नानुसार किया जाता है।

3.3.5.1 पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में वाहनों के प्रवेश व संचालन के सम्बन्ध में आदेश—

(अ) पुलिस उपायुक्त यातायात लखनऊ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ के पत्र सं0—एसटी/एसएसपी0—21/2018/839 दिनांकित 13.02.2018 के माध्यम से जारी यातायात नियम को यथावत लागू किया गया है, जिसका गश्ती आदेश निम्नवत है—

आदेश

जनपद लखनऊ में सार्वजनिक मार्गों पर सुराम यातायात बनाये रखने के निमित्त पुलिस अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद लखनऊ भारी वाहनों (माल वाहक) के आवागमन/डायवर्जन के संबंध में निम्नलिखित आवागमन मार्ग निर्धारित करता हूँ।

१—कानपुर रोड से आने वाले भारी माल वाहक जो हरदोई रोड, सीतापुर रोड, रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड व फैजाबाद रोड की ओर जाना चाहते हैं एवं लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा।

क्र० सं०	डायवर्जन डियूटी स्थल	थाना/जनपद	वाहनों को रोकने के लिए कार्यवाही सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा
1.	जुनाबगंज कानपुर रोड	कटी बगिया	बन्धरा (लखनऊ)
	लेखपड़ा चौराहा	हसनगंज (उन्नाव)	
	बुद्धेश्वर चौराहा	पारा (लखनऊ)	
	दुबगगा चौराहा	काकोरी (लखनऊ)	
2	बनी मोड (जुनाबगंज)	बन्धरा (लखनऊ)	कानपुर रोड से रायबरेली को जाने वाले भारी माल वाहक वाहन बनी मोड से एयरफोर्स रेटेशन मेमौरा होते हुये मोहनलालगंज करबा से अपने गतव्य को जा सकेंगे।
3	मोहनलालगंज कस्बा गोसाईगंज मोड	मोहनलालगंज (लखनऊ)	कानपुर रोड से सुल्तानपुर की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन बनी मोड से एयरफोर्स रेटेशन मेमौरा होते हुये मोहनलालगंज कस्बा से बॉयै मुड़कर मोहनलालगंज गोसाईगंज मोड से दाहिने मुड़कर, खुजौली चौराहा, गोसाईगंज कस्बा, हैदरगढ़ होकर अपने गतव्य को जा सकेंगे।
4	जुनाबगंज कानपुर रोड	गोसाईगंज कस्बा मोड	कानपुर रोड से फैजाबाद की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन बनी मोड से एयरफोर्स रेटेशन मेमौरा होते हुये मोहनलालगंज कस्बा से बॉयै मुड़कर मोहनलालगंज गोसाईगंज मोड से दाहिने मुड़कर, खुजौली चौराहा, गोसाईगंज कस्बा, हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी होकर अपने गतव्य को जा सकेंगे।
5	जुनाबगंज कानपुर रोड	सरोजनी नगर	कानपुर से लखनऊ की ओर आने वाले भारी माल वाहक वाहन को थाना सरोजनी नगर पर प्रतिबंधित अवधि में रोका जायेगा। यह वाहन शहर क्षेत्र में प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेगा।

2—रायबरेली रोड से आने वाले भारी मालवाहक वाहन जो कानपुर रोड, हरदोई रोड, सीतापुर रोड, सुल्तानपुर रोड व फैजाबाद रोड की ओर जाना चाहते हैं एवं लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा—

6	मोहन लाल करबा रायबरेली रोड	मोहनलालगंज करबा पोर्ट ऑफिस तिराहा	मोहनलालगंज (लखनऊ)	रायबरेली रोड से उन्नाव, कानपुर, हरदोई, सीतापुर की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन मैमोरा एयरफोर्स स्टेशन, बनी मोड़, से सीधे उन्नाव होकर कानपुर चले जाएगे एवं सीतापुर, हरदोई की ओर जाने वाले कटी बगिया मोड़ से दाहिने हरौनी पुलिस चौकी(रिलवे कासिंग), कन्जाखेड़ा, लेखपड़ा चौराहा (थाना हसनगंज जनपद उन्नाव) से दाहिने
		बनी मोड़(जुनाबगंज)	बन्धरा (लखनऊ)	मोहान रोड होते हुये पुलिस चौकी गुरुधरी का तालाब (थाना काकोरी जनपद लखनऊ) से हरदोईया मोड़, फतेहगंज, बुद्धेश्वर चौराहा से बॉयें दुबग्गा चौराहा होकर अपने गतव्य को जा सकेंगे।
		कटी बगिया तिराहा	बन्धरा (लखनऊ)	
		लेखपड़ा चौराहा	हसनगंज (उन्नाव)	
		बुद्धेश्वर चौराहा (तिकोनिया)	पारा (लखनऊ)	
		दुबग्गा चौराहा	काकोरी (लखनऊ)	
7	मोहन लाल करबा रायबरेली रोड	मोहनलालगंज करबा गोसाईगंज मोड़	मोहनलालगंज (लखनऊ)	रायबरेली रोड से सुल्तानपुर, फैजाबाद की ओर जाने वाले भारी मालवाहक वाहनों को मोहनलालगंज करबा से सीधे मोहनलालगंज करबा गोसाईगंज मोड़ से दाहिने मुड़कर, खुजौली चौराहा, गोसाईगंज करबा हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी होकर अपने गतव्य को जा सकेंगे।
		गोसाईगंज करबा मोड़	गोसाईगंज (लखनऊ)	

3—सुल्तानपुर रोड से आने वाले भारी मालवाहक वाहन जिन्हें रायबरेली रोड, कानपुर रोड, हरदोई रोड, सीतापुर रोड की ओर जाना है व लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं, उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा—

8	करबा गोसाईगंज सुल्तानपुर रोड	करबा गोसाईगंज मोहनलालगंज मोड़	गोसाईगंज (लखनऊ)	सुल्तानपुर रोड से रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, सीतापुर की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन करबा गोसाईगंज, मोहनलालगंज मोड़ से बॉयें खुजौली चौराहा, करबा मोहनलालगंज गोसाईगंज मोड़ से बॉयें मोहनलालगंज पोर्ट ऑफिस तिराहा से सीधे रायबरेली रोड एवं उन्नाव, कानपुर, हरदोई, सीतापुर रोड की ओर जाने वाले वह मैमोरा एयरफोर्स स्टेशन, बनी मोड़, से सीधे उन्नाव होकर कानपुर चले जायेगे एवं सीतापुर, हरदोई की ओर जाने वाले कटी बगिया मोड़ से दाहिने हरौनी पुलिस चौकी(रिलवे कासिंग), कन्जाखेड़ा, लेखपड़ा चौराहा (थाना हसनगंज जनपद उन्नाव) से दाहिने मोहान रोड होते हुये पुलिस चौकी गुरुधरी का तालाब (थाना काकोरी जनपद लखनऊ) से हरदोईया मोड़, फतेहगंज,
		करबा मोहनलालगंज गोसाईगंज मोड़	मोहनलालगंज (लखनऊ)	
		करबा मोहनलालगंज पोर्ट ऑफिस तिराहा	मोहनलालगंज (लखनऊ)	
		बनी मोड़ (जुनाबगंज)	बन्धरा	
		कटी बगिया मोड़	बन्धरा	

				बुद्धेश्वर चौराहा से बाये दुबगा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
3	सुल्तानपुर रोड	कस्बा हैदरगढ़ पुलिस चौकी चौराहा	कस्बा हैदरगढ़ पुलिस चौकी चौराहा (बाराबंकी)	सुल्तानपुर रोड से हरदोई, सीतापुर की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन कस्बा हैदरगढ़ पुलिस चौकी चौराहे से दाहिने असन्द्रा थाना भिटरिया चौराहे से दाहिने रामसनेही घाट बाईपास तिराहे से बाये 10वीं वाहिनी पीएसी बाई पास तिराहे से दाहिने देवा रोड कुर्सी रोड, महोना, इटौजा मोड़, भिठौली नहीं जाना है, वे वाहन बड़दूपुर, महमूदाबाद, सीतापुर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

4—बाराबंकी, फैजाबाद रोड से आने वाले भारी मालवाहक वाहन, जो हरदोई रोड, सीतापुर रोड, रायबरेली रोड, कानपुर रोड, की ओर जाना चाहते हैं एवं लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा—

10	देवा रोड बाराबंकी	देवा रोड तिराहा	देवा (चौकी माटी) (बाराबंकी)	बाराबंकी, फैजाबाद की ओर से सीतापुर रोड, हरदोई रोड कानपुर रोड, की ओर जाने वाले भारी माल वाहन देवा मोड़ जनपद बाराबंकी से दाहिने देवा रोड, कुर्सी रोड, महोना, इटौजा मोड़, भिठौली मोड़ होकर अपने गंतव्य को जायेगे। जिन वाहनों को महोना, इटौजा मोड़, भिठौली नहीं जाना है, वे वाहन बड़दूपुर, महमूदाबाद, सीतापुर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
		इटौजा मोड़ (लखनऊ)	इटौजा (लखनऊ)	
		कुर्सी रोड (लखनऊ)	कुर्सी (बाराबंकी)	
		भिठौली मोड़ (लखनऊ)	मडियॉव (लखनऊ)	
11	10 वीं वाहिनी पीएसी फैजाबाद रोड	10 वीं वाहिनी पीएसी मोड़ (बाईपास)	कोतवाली (बाराबंकी)	फैजाबाद रोड से लखनऊ शहर की ओर आने वाले भारी माल वाहक वाहन 10 वीं वाहिनी पीएसी मोड़ फैजाबाद रोड से दाहिने देवा रोड, कुर्सी, महोना, इटौजा मोड़ भिठौली नहीं जाना है, वे वाहन बड़दूपुर, महमूदाबाद, सीतापुर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
12	फैजाबाद रोड	रामसनेही घाट (बाईपास) तिराहा	रामसनेही घाट (बाराबंकी)	फैजाबाद रोड से लखनऊ शहर की ओर आने वाले भारी माल वाहक वाहन राम सनेही घाट बाईपास तिराहे से बाये कस्बा भिटरिया चौराहा से बाये हैदरगढ़ कस्बा पुलिस चौकी चौराहा से सीधे रायबरेली तथा दाहिने गंगागंज, कस्बा गोसाइगंज मोड़ से बाये खुजौली चौराहा मोहनलालगंज कस्बा तिराहा, जुनाबगंज (बनी) होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

5—सीतापुर रोड से आने वाले भारी मालवाहक वाहन जिनको बाराबंकी, फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड की ओर जाना है एवं लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा—

13	सीतापुर रोड	इटौजा मोड़ (लखनऊ)	इटौजा (लखनऊ)	सीतापुर रोड से बाराबंकी, फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन इटौजा मोड़, महोना, कुर्सी रोड, देवा रोड होते हुये बाराबंकी, फैजाबाद रोड एवं राम सनेही घाट बाईपास
		कुर्सी रोड तिराहा	कुर्सी (बाराबंकी)	

		(बाराबंकी)		
		देवा मोड़ (लखनऊ)	देवा (बाराबंकी)	तिराहे से दाहिने करबा भिटरिया चौराहा से बाये हैदरगढ़ करबा पुलिस चौकी चौराहा से बाये सुल्तानपुर रोड होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
14	सीतापुर रोड	आइ0आइ0एम (भिठौली) तिराहा	मड़ियॉव (लखनऊ)	सीतापुर रोड से लखनऊ शहर की ओर आने वाले भारी माल वाहक वाहन को भिठौली तिरहो से दुबगगा पहले प्रतिबंधित अवधि में रोका जायेगा। यह वाहन शहर क्षेत्र में प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।
15	बाराबंकी कुर्सी रोड	कुर्सी रोड तिराहा (बाराबंकी) "	कुर्सी (बाराबंकी)	बाराबंकी कुर्सी रोड से लखनऊ शहर की ओर आने वाले भारी माल वाहक वाहन को कुर्सी रोड तिराहे से लखनऊ शहर की ओर नहीं आ सकेंगे, बल्कि यह वाहन महोना, इटौजा मोड़ होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। यह वाहन शहर क्षेत्र में प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।

6—सीतापुर रोड से आने वाले भारी मालवाहक वाहन जिनको कानपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली रोड की ओर जाना हैं एवं लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं, उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा—

नोट:—सीतापुर रोड से वे भारी माल वाहक वाहन जिनका गल्ला गण्डी, फलमण्डी, पुरनिया तक आना है, उन्हें मण्डी तक आने दिया जायेगा।

16	सीतापुर रोड	भिठौली तिराहा (लखनऊ)	मड़ियॉव	सीतापुर रोड से हरदोई, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली रोड की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन भिठौली चौराहे से दुबगगा तिराहा से हरदोई रोड की ओर मछली मण्डी होकर एवं दुबगगा पेट्रोल पम्प तिराहा पुलिस पिकेट से बुद्धेश्वर चौराहा से दाहिने मोहान रोड, गुरुधरी चौकी, लेखपड़ा चौराहा से
17	हरदोई रोड	बुद्धेश्वर चौराहा लेखपड़ा चौराहा	पारा (लखनऊ)	सीधे उन्नाव, कानपुर रोड, कन्नौज की ओर जा सके, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी प्रकार का माल वाहक भार वाहन बुद्धेश्वर चौराहे से चौकी पारा, बाजाविरवा की ओर नहीं जायेगा तथा रायबरेली की ओर जाने वाले वाहन बुद्धेश्वर चौराहे से दाहिने लेखपड़ा मोड़ से बौद्ये कंजाखेड़ा, हरौनी पुलिस चौकी (रेलवे कासिंग) कटी बगिया, बनी मोड़ (जुनाबगंज) करबा पोस्ट आफिस होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
		कटी बगिया	बन्धरा (लखनऊ)	
		बनी मोड़ (जुनाबगंज)	बन्धरा (लखनऊ)	
		मोहनलालगंज करबा पोस्ट आफिस	मोहनलालगंज (लखनऊ)	
18	सीतापुर रोड	भिठौली मोड़	मड़ियॉव (लखनऊ)	सीतापुर रोड से लखनऊ शहर की ओर आने वाले भारी माल वाहक वाहन को भिठौली मोड़ से पहले प्रतिबंधित अवधि में रोका जायेगा। यह वाहन शहर क्षेत्र में प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।
19	हरदोई रोड	दुबगगा तिराहा पेट्रोल पम्प	काकोरी (लखनऊ)	दुबगगा तिराहे से किसी भी प्रकार का माल वाहक भार वाहन लखनऊ शहर क्षेत्र बालागंज की ओर प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।
20	हरदोई रोड	बुद्धेश्वर चौराहा	पारा (लखनऊ)	बुद्धेश्वर चौराहे से किसी भी प्रकार का माल वाहक भार वाहन लखनऊ शहर क्षेत्र की ओर प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।

7—हरदोई रोड से आने वाले भारी माल वाहक वाहन जिनको रायबरेली, सुल्तानपुर रोड, फैजाबाद रोड की ओर जाना है एवं लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं, उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा—

21	हरदोई रोड	दुबग्गा पेट्रोल पम्प तिराहा	काकोरी (लखनऊ)	हरदोई रोड से आने वाले भारी वाहक वाहन जिनको रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड एवं फैजाबाद रोड की ओर जाना है वे वाहन दुबग्गा पेट्रोल पम्प तिराहा, बुद्धेश्वर चौराहा से दाहिने फतेहगंज, हरदोईथा मोड़, पुलिस चौकी गुरधरी का तालाब, मोहान रोड, लेखपड़ा चौराहा, कन्जाखेड़ा, हरौनी पुलिस चौकी (रेलवे कासिंग) कटी बगिया मोड़, मोहनलालगंज करबा पोस्ट ऑफिस तिराहे से दाहिने रायबरेली की ओर जायेगा तथा करबा मोहनलालगंज गोसाईगंज मोड़, खुजौली, गोसाईगंज करबा से दाहिने सुल्तानपुर रोड एवं फैजाबाद रोड की ओर जायेगा।
		बुद्धेश्वर चौराहा	पारा (लखनऊ)	
		बुद्धेश्वर चौराहा	पारा (लखनऊ)	
		लेखपड़ा चौराहा	हसनगंज जनपद उन्नाव	
		कटी बगिया मोड़	बन्थरा (लखनऊ)	
		बनी मोड़ (जुनाबगंज)	बन्थरा (लखनऊ)	
		मोहनलालगंज करबा पोस्ट आफिस तिराहा	मोहनलालगंज (लखनऊ)	
		मोहनलालगंज करबा गोसाईगंज मोड़	मोहनलालगंज (लखनऊ)	
		गोसाईगंज करबा तिराहा	गोसाईगंज (लखनऊ)	
22	दुबग्गा तिराहा पेट्रोल पम्प	दुबग्गा तिराहा पेट्रोल पम्प	काकोरी (लखनऊ)	दुबग्गा तिराहे से किसी भी प्रकार का माल वाहक भार वाहन लखनऊ शहर क्षेत्र बालागंज की ओर प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।
23	बुद्धेश्वर चौराहा	बुद्धेश्वर चौराहा	पारा (लखनऊ)	बुद्धेश्वर चौराहे से किसी भी प्रकार का माल वाहक भार वाहन लखनऊ शहर क्षेत्र की ओर प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।

नोट—

1—पेट्रोल टैंकर, शव वाहन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाली समाग्री (गैंगू चावल, दाल, चीनी, पॉमोलिन एवं कैरोसिन) की दुलाई करने वाले वाहनों को छोड़कर शेष भारी मालयानों जिनका सकल यान भार (माल सहित वाहन का अधिकृत वजन) 12000 किग्रा से अधिक हो या ऐसे ट्रैक्टर यॉ रोड रोलर जिनमें से किसी का खाली वजन 12000 किग्रा से अधिक हो का डायवर्जन स्थानों से प्रवेश प्रातः 06.00 बजे से लेकर रात्रि 11.00 बजे तक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

2—लखनऊ शहर में कानपुर रोड, रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड, बाराबंकी रोड, फैजाबाद रोड, सीतापुर रोड, हरदोई रोड, आदि मार्गों से आने वाले भारी माल वाहक वाहनों के संचालन हेतु नो इन्ट्री डायवर्जन स्थान चिह्नित किया गया है। उपरोक्त चिह्नित स्थानों पर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक सम्बन्धित थानों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3—सम्बन्धित क्षेत्राधिकारीगण अपने—अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कोतवाली/थानों के थाना प्रभारियों/थानाध्यक्षों से समन्वय कर सभी डायर्जन/नो इन्ट्री प्लाइन्ट पर मार्ग संकेतक पर प्रतिबंधित समय का अंकन करते हुये साईन बोर्ड लगवाया जाना सुनिश्चित करायेंगे तथा थाना प्रभारियों के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करायेंगे की नो—इन्ट्री/डायर्जन स्थानों से भारी माल वाहनों का प्रवेश शहर सीमा में प्रवेश न करे तथा सामान्य यातायात को सुगम मार्ग प्राप्त हो सके।

4—यह आदेश दिनांक 14.02.2018 से प्रभावी होगा।

पत्रांक: एसटी/एसएसपी-२/ /2018/839

दिनांक: फरवरी 13, 2018


(दीपक कुमार)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
लखनऊ

(ब) लखनऊ कमिशनरेट लखनऊ में शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम संचालन हेतु लखनऊ शहर में बढ़ते यातायात दबाव के दृष्टिगत शहर के 27 मार्गों को एकल दिशा मार्ग घोषित किया जाता है जिसका विवरण निम्नवत है—

धारा-31 के तहत प्रचलित एकल दिशा मार्ग का विवरण :-

थाना क्षेत्र क्र.सं.	एकल दिशा मार्ग
1	महानगर/दैनिक जागरण चौराहे की ओर से आने वाला यातायात सिकन्दरबाग चौराहे से सहारागंज (शाहनजफ) तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात बाया अशोक मार्ग या दाहिने निशातगंज होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगा। यदि किसी को सहारागंज जाना है तो वह सप्रू मार्ग होते हुए सहारागंज जा सकेगा।
2	सहारागंज से कोई भी यातायात डनलप तिराहे/एसएसपी आवास/सप्रू मार्ग की ओर नहीं जा सकेगा, जबकि यह यातायात सिकन्दरबाग से दाहिने/बाये मुड़कर अपने गंतव्य को जा सकेगा।
3	डनलप तिराहे/एसएसपी आवास से कोई भी यातायात सेन्ट फांसिस/बैंक आफ इण्डिया/अल्का तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात सहारागंज (शाहनजफ) तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा।
4	सेन्ट फांसिस व कैथेड्रिल स्कूल छूटते समय दो घन्टे के लिए अल्का तिराहा से बैंकऑफ इण्डिया/डनलप तिराहा एक दिशा मार्ग होगा। इस मार्ग पर इस समय अवधि के लिए डनलप तिराहे की ओर से कोई यातायात आना प्रतिबंधित रहेगा (सुझाव)
5	नवल किशोर रोड, बैंक आफ इण्डिया तिराहा की ओर से अल्का तिराहे पर आने वाला यातायात मेफेयर तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा, (सुझाव)
6	बालीकि तिराहे से कोई भी यातायात कैपर रोड तिराहा की ओर नहीं जा सकेगा बल्कि यह यातायात मेफेयर तिराह होकर जा सकेगा।

हजरतगंज	7	लालबाग चौराहे से कोई भी यातायात भेफेयर तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात कैपर रोड तिराहा/कैपिटल तिराहा की ओर जा सकेगा।
	8	बैक ऑफ इण्डिया से कोई भी यातायात नवल किशोर रोड तिराहा/लीला सिनेमा/अशोक मार्ग की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात बैक ऑफ इण्डिया से डनलप तिराहा सहारागंज तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा।
	9	डीएम आवास से तुलसी सिनेमा/प्रेस वलब परिवर्तन चौक की ओर यातायात जा सकता है, परन्तु परिवर्तन चौराहा से डीएम आवास की ओर नहीं आ सकेगा।
	10	हजरतगंज चौराहा से पार्क रोड चौराहा की ओर यातायात जा सकता है, परन्तु सीविल चौराहा से हजरतगंज चौराहा की ओर जाना प्रतिबंधित है। यह यातायात वाया डीएसओ होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगा।
	11	हिन्द सिनेमा की ओर से आने वाला यातायात कैपर रोड तिराहे से लालबाग चौराहे की ओर नहीं आ सकेगा, बल्कि यह यातायात निशात हास्पिटल/हिन्द सिनेमा होकर लालबाग जा सकेगा। (सुझाव)
	12	पार्क रोड/सीविल चौराहा से डीएसओ चौराहे की ओर यातायात जा सकता है, किन्तु इस मार्ग से आना प्रतिबंधित है। (सुझाव)
	13	डीएसओ से आने वाला यातायात वाया सिसेण्डी तिराहा रायल होटल चौराहा/लालबहादुर शास्त्री तिराहे की ओर जा सकेगा किन्तु लालबहादुर शास्त्री से आने वाला यातायात वाया सिसेण्डी तिराहा डीएसओ चौराहे की ओर जाना प्रतिबंधित होगा, यह यातायात रायल होटल चौराहा होकर जा सकेगा। रायल होटल से सिसेण्डी की ओर आने वाला यातायात लालबहादुर शास्त्री की ओर नहीं जा सकेगा बल्कि यह यातायात डीएसओ की ओर जा सकेगा। (सुझाव)

कैसरबाग	14	नजीराबाद चौराहा से नाज सिनेमा ख्यालीगंज की ओर यातायात जा सकता है, किन्तु इस मार्ग से आना प्रतिबंधित है।
	15	डा० सूजा रोड तिराहा (सुपर मार्केट) की ओर से रॉयल होटल की तरफ यातायात जा सकेगा, परन्तु इस मार्ग पर आना प्रतिबंधित होगा। (सुझाव)
	16	डा० सूजा रोड तिराहा (ओडियन) की ओर से वार्लिंगटन चौराहे की ओर यातायात का जाना प्रतिबंधित होगा। (सुझाव)
	17	कैसरबाग अशोक लाट से हुसैनगंज (वार्लिंगटन) चौराहे की तरफ बड़े वाहन/बसें नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह वाहन नूरमंजिल रायल होटल होकर अपने गंतव्य का जा सकेंगे। (मेट्रो कार्य)
	18	कैसरबाग अशोकलाट की तरफ से आने वाले छोटे वाहन बीएन रोड (चर्च) तिराहे से हुसैनगंज (वार्लिंगटन) चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे बल्कि यह यातायात अपने बाये मुड़कर नूरमंजिल होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। (सुझाव)
अमीनाबाद	19	नजीराबाद चौराहा से गुईन रोड चौराहा की ओर यातायात जा सकता है, किन्तु इस मार्ग से आना प्रतिबंधित है।
	20	अमीनाबाद चौराहा से पोस्ट ऑफिस तिराहा की ओर यातायात जा सकता है, किन्तु इस मार्ग से आना प्रतिबंधित है।
	21	नजीराबाद चौराहा से झण्डे वाले पार्क तिराहा की ओर यातायात नहीं जा सकेगा, किन्तु यातायात आ सकेगा।
	22	नजीराबाद चौराहे से सुगनामल तिराहे की ओर यातायात जा सकेगा, किन्तु आना प्रतिबंधित होगा।
वजीरगंज	23	बलरामपुर ढाल चौराहे से शहीद स्मारक तिराहे की ओर जा सकेगा किन्तु इस मार्ग से आमा प्रतिबंधित है। (हाईकोर्ट व्यवस्था)
हुसैनगंज	24	राणा प्रताप तिराहे से क०को०सी की ओर यातायात जा सकेगा परन्तु इस मार्ग पर आना प्रतिबंधित रहेगा। (सुझाव)
बाजारखाल	25	टिकैत राय तालाब की ओर यातायात बुलाकी अड़ा तिराहे जा सकेंगे, किन्तु आना प्रतिबंधित रहेगा। (सुझाव)
चौक	26	मेडिकल कास(कमला नेहरू कांसिंग) चौराहा से चौक चौराहे की ओर यातायात जा सकेंगे किन्तु इस मार्ग से आना प्रतिबंधित रहेगा। (सुझाव)
अलीगंज	27	डण्डहिया तिराहे से नीरा नसिंग होम तिराहे की ओर यातायात जा सकेगा, किन्तु इस मार्ग पर आना प्रतिबंधित रहेगा। (सुझाव)

3.3.5.2 मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना—

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या- 10/2020/752/तीस-4-2020/01(सा०)/2017
लखनऊःदिनांक 30 जुलाई ,2020

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना-14/2019/931/तीस-4-2019/01(सा०)/2017, दिनांक 07 जून, 2019 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल निदेश देती हैं कि नई अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी, अनुसूची के स्तम्भ 4 तथा 5 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित धनराशि के निमित्त स्तम्भ में उल्लिखित अपराध और स्तम्भ-2 में उल्लिखित धाराओं के अधीन अपराध का शमन कर सकते हैं:-

अनुसूची

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(1) परिवहन विभाग के पदधारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 122, 126 के साथ पठित धारा 177	<u>यातायात सम्बन्धी अपराध</u> 1- पार्किंग नियमों का उल्लंघन	₹0-500/-	₹0-150/-
(2) पुलिस विभाग के पदधारी (एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	मोटरयान अधिनियम की धारा 177 के साथ पठित धारा 47	2- मांग किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट, स्वस्थता प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (puc) प्रस्तुत करने में विफल होने पर। टिप्पणी:- डिजीलॉकर में इलेक्ट्रानिक प्रारूप में दस्तावेज स्वीकार किये जायेंगे।		
	धारा 184क, ख, घ, ड.च में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर मोटरयान अधिनियम की धारा 119 के साथ पठित धारा 177	3 - 12 माह से अधिक अवधि तक अन्य राज्यों के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का उपयोग करने पर।		
	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 6(2) के साथ पठित धारा 177	4- धारा 184क, ख, घ, ड., च में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर ड्राइवर द्वारा बिना किसी संकेत के गली बदलते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाना।		
	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 123 के साथ पठित धारा 177	5- अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर		
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72 (तेरह)	<u>यात्रियों से सम्बन्धित अपराध</u> 6- फुट बोर्ड पर यात्रियों के खड़े होने पर		
		<u>वाणिज्यिक यानों से सम्बन्धित अपराध</u>		

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अपराध अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
	<p>के साथ पठित धारा 177</p> <p>उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के नियम 28 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 177</p> <p>उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के नियम 166क के साथ पठित धारा 177</p>	<p>7- अनुज्ञेय किराये से अधिक किराया लेने पर</p> <p>8- परिवहन यानों में आवश्यक अपेक्षित सूचना प्रदर्शित न करने पर</p> <p>9- मोटर कैब में किराया मीटर कार्यशील न होने पर।</p> <p>10- मोटर यान अधिनियम या तद्वीन जारी नियमावली, विनियमावली या अधिसूचनाओं के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने वाले अन्य अपराध जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं तथा जिनके लिये विनिर्दिष्ट जुर्माना विहित नहीं किया गया है।</p>		
(एक) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर संभागीय सहायक परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन (दो) समस्त कार्यकारी मणिस्ट्रेट	178(1)	<p><u>मंजिली गाड़ियों में यात्रियों से सम्बन्धित अपराध</u></p> <p>1- बिना वैध टिकट या पास के यात्रा करना।</p> <p>2- मांगने पर पास या टिकट प्रस्तुत न करना।</p>	रु0-500/-	-
-तदैव-	178(2)	<p><u>मंजिली गाड़ियों में परिचालकों से सम्बन्धित अपराध</u></p> <p>1- किराया न लेना या किराया लेने से इंकार करना।</p> <p>2- टिकट जारी न करना या टिकट जारी करने से इंकार करना।</p> <p>3- अवैध टिकट देना।</p> <p>4- कम किराया का टिकट प्रदान करना।</p> <p>5- टिकट या पास की जांच न करना।</p>	रु0-500/-	-
-तदैव-		यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक या चालक इस अधिनियम या तद्वीन बनायी गयी नियमावली		-

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
	178(3)(क) 178(3)(ख)	के उपबन्धों का उल्लंघन करके ठेका गाड़ी संचालित करने या यात्रियों को ले जाने से मना करता है। (क) दो पहिया या तीन पहिया मोटरयानों की दशा में। (ख) यान के किसी अन्य मामले में।	रु0-50/- रु0-500/-	-
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर संभागीय परिवहन संभागीय अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (2) पुलिस विभाग के अधिकारी (एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	179(1)	प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी विधि सम्मत निदेश का उल्लंघन करना या ऐसी किसी कृत्य का निर्वहन करने में व्यवधान डालना, जिसका निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण अपेक्षित हों या सशक्त हों	रु0-2000/-	-
-तदैव-	179(2)	इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षित सूचना देने से अस्वीकार करना या मिथ्या सूचना देना जिसे वह सत्य न मानता हो	रु0-2000/-	-
-तदैव-	180	जो कोई, चाहे वह मोटर यान का स्वामी हो या उसका भार साधक व्यक्ति हो, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों का समाधान नहीं करता है, से यान चलवाता है या उसकी अनुज्ञा देता है	रु0-5000/-	-

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा एँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
-तदैव-	181	धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन कर यान चलाने पर।	रु0-5000/-	-
-तदैव-	182(1)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा यान चलाये जाने पर जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिए निरहू हो	रु0-10000/-	-
-तदैव-	182(2)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा मंजिली गाड़ी के परिचालक के रूप में कार्य करना, जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिए निरहू हो	रु0-10000/-	-
(क) अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव परिवहन विभाग	182क(1)	(क) जो कोई, या तो मोटर यानों का विनिर्माणकर्ता, आयातकर्ता या व्यवहारी हो, उक्त अधिनियम के अध्याय-सात और तद्वीन बनायी गयी नियमावली तथा विनियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन कर किसी यान का विक्रय करना, परिदान करना, परिवर्तन करना या विक्रय, परिदान अथवा परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव करना (i) विनिर्माणकर्ता (ii) आयातकर्ता (ख) व्यवहारी	रु0-100000/- प्रति वाहन	-
(ख) उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव परिवहन विभाग	182क(2)		रु0-100000/- प्रति वाहन	-
उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव परिवहन विभाग	182क(3)	जो कोई मोटर यान के ऐसे किसी संघटक, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नाजुक सुरक्षा संघटक के रूप में अधिसूचित किया गया हो और जो अधिनियम के अध्याय-सात या तद्वीन बनायी गयी नियमावली एवं विनियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो, विक्रय करता है या विक्रय करने का प्रस्ताव करता है या उसके विक्रय की अनुशा प्रदान करता है	रु0-100000/- प्रति संघटक	-

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(एक) परिवहन विभाग के पदाधिकारी, यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन	182क(4)	जो कोई मोटर यान का स्वामी होते हुए किसी मोटर यान में ऐसी रीति से परिवर्तन करता है जो इस अधिनियम या तद्वीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के अधीन अनुज्ञात न हो	रु0-5000/- प्रति परिवर्तन	
अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव परिवहन विभाग	182ख	(I) धारा-62क(1) का उल्लंघन ऐसे किसी मोटर यान का रजिस्टीकरण किये जाने पर जिससे यानों की चैडाई ऊंचाई लम्बाई और प्रलम्ब एवं वहन किये गये भार के उपबंधों से संबंधित धारा 110 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन होता हो।	रु0-5000/-	रु0-10000/-
-तदेव-	182ख	(II) धारा- 62क(2) का उल्लंघन किसी विहित प्राधिकरण या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के उपबंधों से संबंधित धारा 118 के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर।	रु0-5000/-	रु0-10000/-
(1) परिवहन विभाग के पदधारी, यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (2) पुलिस विभाग के पदधारी (एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी	183(1)	अधिनियम की धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमाओं का उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाने अथवा ऐसे व्यक्ति, जो उसके द्वारा नियोजित हो या उसके नियंत्रणाधीन हो, के द्वारा यान चलाने पर।	(i) हल्के मोटर यान की दशा में रु0-2000/ (ii) मध्यम/भारी यात्री/माल यान की दशा में रु0-4000/-	अशमनीय

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट				
-तदैव-	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के नियम 21 के साथ पठित धारा 184(ग)	यान चलाते समय हाथ से पकड़े जाने वाले संचार उपकरणों (हैण्ड हेल्ड डिवाइस) का उपयोग करना।	रु0-1000/-	रु0-10000/-
-तदैव-	186	यह ज्ञान होते हुये कि वह किसी ऐसे रोग या निःष्कृता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा संभावित है सार्वजनिक स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाने पर	रु0-1000/-	रु0-2000/-
-तदैव-	189	यह ज्ञान होते हुये कि वह किसी ऐसे रोग या निःष्कृता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा संभावित है सार्वजनिक स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाने पर	रु0-5000/-	रु0-10000/-
-तदैव-	190(2)	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाने या चलावाने पर जो 1- सड़क सुरक्षा के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन करता हो यथा रेफ्लेक्टर न लगा होना, मानक के अनुसार रेट्रो रेफ्लेक्टिव टेप न लगा होना, वाणिज्यिक यानों में मानकों के अनुसार स्पीड लिमिट डिवाइस न लगा होना; 2- वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन कारक हो; 3- ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में	रु0-10000/-	रु0-10000/-

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
		विहित मानकों का उल्लंघन कारक हो।		
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी, यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन (2) पुलिस विभाग के अधिकारी (एक) नागरिक पुलिस / यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक	मोटर यान अधिनियम की धारा 39 एवं धारा 56 के साथ पठित धारा 192 केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 51 के साथ पठित धारा 192	(i) रजिस्टीकरण के बिना या निलम्बित या रद्दकृत रजिस्टीकरण के साथ मोटर यान संचालित किये जाने पर (ii) वैध उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के बिना यान संचालित किये जाने पर। (iii) यान में रजिस्टीकरण चिन्ह को विहित रीति से प्रदर्शित न करने पर। (iv) अन्य मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण संख्या को अपने यान पर प्रदर्शित करने पर।	रु0-5000/- रु0-5000/- रु0-5000/- रु0-5000/-	रु0-10000/- रु0-10000/- रु0-10000/- रु0 10000/-
-तदैव-	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के साथ पठित धारा-192(क)	जो कोई परमिट के बिना कोई मोटर यान चलाता है या ऐसे मार्ग से सम्बंधित, जिसपर या ऐसे क्षेत्र से सम्बंधित, जिसमें या ऐसे प्रयोजन से सम्बंधित, जिसके लिये यान चलाया जा सकता है, परमिट के किसी शर्त का उल्लंघन करके कोई यान चलायता है या चलाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है		रु0-10000/- रु0-10000/-
परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन।	194(1)	अनुशेय भार से अधिक भार वाले यान चलाये जाने की दशा में :- (क) अधिनियम की धारा 113 और 115 के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाये जाने पर तथा (ख) यदि किसी मोटर यान में अधिक भार हो तो प्रतिटन अधिक भार होने पर।	रु0-20000/- और प्रति टन अधिक भार के लिए रु0-2000/- अतिरिक्त	-

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
-तदेव-	194(1क)	जो कोई मोटर यान चलाता है या कोई मोटर यान चलवाता है या चलवाने की अनुज्ञा प्रदान करता है, जब ऐसा मोटर यान इस प्रकार से भारित किया जाय कि भार या उसका आंशिक भाग या बॉडी के पार्श्व भाग या अग्र भाग की तरफ या अनुज्ञय सीमा से अधिक की ऊँचाई के पृष्ठ भाग की तरफ बाहर निकला होने पर (1) यदि भार कृषि उत्पाद हो (2) कोई अन्य भार	रु0-100/- रु0-20000/-	-
-तदेव-	मोटर यान अधिनियम की धारा 114 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-194(2)	धारा 114 के उपबन्धों का उल्लंघन करके यान चलाने या चलवाने या चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने पर (इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तुलवाये जाने का निदेश दिये जाने के पश्चात तुलवाने हेतु यान को रोकने और प्रस्तुत करने से इनकार किये जाने पर या तुलवाये जाने से पूर्व भार या उसके आंशिक भाग को हटाने या हटवाये जाने पर)	रु0-40000/-	-
(1) परिवहन विभाग के पदधारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (2) पुलिस विभाग के पदधारी (एक) नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के निरीक्षक और उप निरीक्षक जो अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र	उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 135 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-194क	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अथवा अनुज्ञा-पत्र (में अनुमोदित से) भिन्न यात्री परिवहन यान में अधिक यात्रियों को ले जाने पर।	रु0-200/- प्रति यात्री	-

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा एँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
की अधिकारिता में हो, (चार) समरक कार्यकारी मजिस्ट्रेट				
-तदेव-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194ख(1)	यान चलाते समय सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करने में विफल रहने या सुरक्षा बेल्ट न पहनने वाले यात्रियों को ले जाये जाने पर	रु0-1000/-	
-तदेव-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194ख(2)	ऐसे बालक, जो 14 वर्ष की आयु न प्राप्त किया हो तथा सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित न किया गया हो, के साथ कोई मोटर यान चलाने पर या कोई मोटर यान चलावाने या उसकी अनुज्ञा दिये जाने पर।	रु0-1000/-	
-तदेव-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-194 ग	जो कोई स्वयं के अतिरिक्त एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को वहन करते हुए मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल चलावाता है या उसकी अनुज्ञा प्रदान करता है।	रु0-1000/-	
-तदेव-	केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 121 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194 घ	हेलमेट नहीं पहनने के उल्लंघन पर	रु0-1000/-	
-तदेव-	194 ड.	आपात यार्नों यथा एम्बुलेन्स अग्निशमन यान इत्यादि को अबाध रूप से गुजरने देने में विफल होने पर	रु0-10000/-	
-तदेव-	194 च	जो कोई मोटर यान चलाते समय: 1- सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हार्न अनावश्यक रूप से या निरंतर या आवश्यकता से अधिक बजाता है या 2- निषिद्ध क्षेत्र में हार्न बजाता है या 3- ऐसा मोटर यान चलाता है जिसमें ऐसे कटआउट का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा एक्जास्ट गैस साइलेसर से भिन्न माध्यम से निर्मुक्त किये जाते हैं	रु0-1000/-	रु0-2000/-
-तदेव-	196	गैर बीमाकृत यान चलाना या मोटर यान चलाने के लिए अनुज्ञा	रु0-2000/-	रु0-4000/-

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
-संघ-	198	देना। बिना प्राधिकार के यान में अनाधिकृत दखल देने या उसमें छेड़छाड़ करने पर।	₹0-1000/-	-

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या -10/2020/752(1)/तीस-4-2020/01(सा0)/2017, तद्विनांक।

प्रति लेपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 30 जुलाई, 2020 के असाधारण गजट के अनुभाग-4, अक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या -10/2020/752(2)/तीस-4-2020/01(सा0)/2017, तद्विनांक।

प्रति लेपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी प्रतियां शाराग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या -10/2020/752(3)/तीस-4-2020/01(सा0)/2017, तद्विनांक।

- प्रति लेपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
 2. संविव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
 3. अधमक्ष, स्टेट टासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू, नलउत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/न्याय/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
 5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से राज्यक स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 6. समर्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
 7. समर्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
 8. समर्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
 9. विधायी अनुभाग-1
 10. गांड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

3.3.6 स्थानीय अभिसूचना ईकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया:-

3.3.6.1 एफ.आर.ओ. (विदेशी पंजीकरण अधिकारी) के सम्बन्ध में:-

पुलिस कमिशनरेट लखनऊ के एफ0आर0ओ0 पुलिस उपायुक्त अभिसूचना एवं सुरक्षा हैं। जिनके पास पाक/बंगलादेश व विदेशी नागरिकों के संबंध में अलग-अलग कर्तव्य हैं।

विदेशी शाखा/विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में:-

जो भारत के नागरिक नहीं हैं वे सभी विदेशी नागरिक हैं, पुलिस कमिशनरेट लखनऊ के पुलिस उपायुक्त अभिसूचना एवं सुरक्षा अन्डरडेलीगेटेड पावरस सभी विदेशियों के पंजीकरण एवं वीजा विस्तारण कराते हैं।

1— पाक शाखा:- पाकिस्तानी नागरिकों के मामले में एफ0आर0ओ0 सिविल ऑथोरिटी के हैसियत से निम्नानुसार कार्य किये जाते हैं

- **पाक नागरिकों के लखनऊ आगमन एवं प्रस्थान:-** पाक नागरिकों को बार्डर से 24 घंटे के अन्दर लखनऊ आगमन करने पर उनकी ऑन लाइन आमद एवं लखनऊ रुकने की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर प्रस्थान कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।
- **(पीआरसी)**—पाकिस्तानी व नागरिकों द्वारा भारत की यात्रा करने हेतु आनलाइन आवेदन किया जाता है। जिसकी बीट प्रभारी द्वारा जांच करवाने के बाद आनलाइन संस्तुति किया जाता है।
- **करतापुर जॉचः**—भारतीय नागरिकों द्वारा पाकिस्तान स्थित करतापुर यात्रा किये जाने हेतु ऑन लाइन आवेदन किये जाते हैं, जिन्हें पुलिस सत्यापन करवाने के बाद ऑन लाइन संस्तुति कर भेजा जाता है।
- **प्रथम एल0टी0वी0**—वैध वीजा पर आये अल्पसंख्यक पाकिस्तानी जो भारत में रथायी वास चाहते हैं उनके द्वारा दीर्घकालीन वीजा का आनलाइन प्रस्ताव व अन्य वाछिंत प्रपत्र के साथ दिया जाता है जिसे शासन/भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- **एल0टी0वी वृद्धि**—जो पाकिस्तानी नागरिक प्रथम एलटीवी स्वीकृत पर भारत लखनऊ में निवास कर रहे हैं उनकी प्रथम एलटीवी की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात अग्रिम दीर्घकालीन वीजा वृद्धि का आनलाइन प्रस्ताव दिया जाता है जिसे नये वीजा नियमों के तहत एफआरओ द्वारा अपने स्तर से आनलाइन वीजा वृद्धि दिये जाने प्राविधान किया गया है।

- **नोरी वीजा**—ऐसे पाक नागरिक जो एलटीवी पर निवास कर रहे हैं वह पाकिस्तान की यात्रा करना चाहते हैं उन्हे एक वर्ष में अधिकतम 90 दिवस का नोरी वीजा दिये जाने का प्रविधान है।(आनलाइन मोड में)
- **नो आब्लीगेशन रिटर्न टू इण्डिया**—जो भारतीय नागरिक विदेश में रह रहे हैं उनकी वीजा समाप्त होने पर अग्रिम वीजा बढ़ाने के लिए शासन के माध्यम से आवेदन प्राप्त होता है जिसे थाना/एलआईयू से जांच करवाने एवं भारत में रह रहे उनके माता से अनप्रत्ति का शपथ पत्र लेकर शासन/जिलाधिकारी को भेजा जाता है।

उल्लेखनीय है कि लखनऊ में पाकिस्तानी नागरिकों के अतिरिक्त अन्य सभी विदेशी नागरिकों के आवागमन/वीजा वृद्धि आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (आईबी) विभाग, भारत सरकार के अधीन नियुक्त क्षेत्रीय वैदेशिक पंजीकरण अधिकारी, लखनऊ (एफ0आर0आर0ओ0) द्वारा सम्पादित किया जाता है।

3.3.6.2 पासपोर्ट शाखा:— वर्तमान समय में लखनऊ में पासपोर्ट आवेदन पत्रों की जांच कार्यवाही ऑन लाइन कम्प्यूटर के माध्यम से सम्पादित की जा रही है। पासपोर्ट आवेदन पत्रों की जांच कार्यवाही हेतु कुल 21 दिवस की समयावधि निर्धारित है। आवेदकों द्वारा पासपोर्ट हेतु जमा किये गये आवेदन पत्र के पार्ट—ए सीधे थानों के टेबलेट्स पर एवं पार्ट—बी सीधे ऑन लाइन अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को जांच हेतु जाते हैं। थानों से एम पासपोर्ट एप के माध्यम से आख्या अपलोड किये जाने एवं अभिसूचना मुख्यालय से पार्ट—बी भी ऑन अपलोड कर दिये जाने के उपरान्त आख्या अन्तिम रूप से नोडल अधिकारी, पासपोर्ट के माध्यम से ऑन लाइन ही क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दी जाती हैं। वर्तमान में पासपोर्ट आवेदन पत्रों की स्थानीय अभिसूचना इकाई स्तर से किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की जा रही है।

3.3.7 सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया:— लखनऊ महानगरीय क्षेत्र में कमिशनरेट प्रणाली लागू होने के उपरान्त सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्यवाही निम्नानुसार की जाती है।

सुरक्षा के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा बीट स्टाफ के माध्यम से निर्धारित प्रारूप एवं बिन्दुओं पर आख्या प्राप्त कर सुरक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पुलिस उपाधीकार, प्रज्ञान एवं पुलिस उपायुक्त, अभिसूचना एवं सुरक्षा लखनऊ महोदय द्वारा समिति हेतु तैयार आख्या पर संयुक्त हस्ताक्षर के उपरान्त पत्रावली अनुमोदन हेतु उच्चाधिकारीगण के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तदोपरान्त समिति द्वारा लिये निर्णय के अनुरूप सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने अथवा न कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये जाते हैं।

3.3.7.1 सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी मानकः— शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार विभिन्न महानुभावों को सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने का विवरण निर्धारित प्रारूप में निम्नवत है।

श्रेणी	सुरक्षा का स्तर/व्यय भार का प्रतिशत
मार्ग सांसद/विधायक	एक गनर निःशुल्क एवं औचित्य पाये जाने पर 01 अतिरिक्त गनर (अर्थात् दूसरा) निःशुल्क तथा पुनः औचित्य पाये जाने पर तीसरा सुरक्षाकर्मी 25 प्रतिशत निजी व्यय पर, चौथा सुरक्षाकर्मी 75 प्रतिशत निजी व्यय पर या उच्च स्तरीय समिति के निर्णयानुसार उससे अधिक निजी व्यय पर, पाँचवां या उससे अधिक सुरक्षाकर्मी 100 प्रतिशत निजी व्यय पर दिया जायेगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष	जिला पंचायत अध्यक्ष को एक सुरक्षाकर्मी शासकीय व्यय पर दिया जायेगा।
निवर्तमान सांसद/विधायक	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय अथवा उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित व्ययभार के अनुसार अथवा उच्च स्तरीय समिति के विवेकानुसार निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
प्रदेश स्तर पर पंजीकृत/मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के अध्यक्ष	औचित्य पाये जाने एक सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय पर दिये जायेगा।
जघन्य अपरध के वादी/पैरोकार/गवाह	औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा की सामान्य व्यवस्था की जायेगी। व्यय का निर्धारण जनपदीय सुरक्षा समिति/मण्डलीय/उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णयानुसार किया जायेगा।
अन्य किसी व्यक्ति को	औचित्य पाये जाने पर आवश्यकतानुसार निजी व्यय पर सुरक्षा प्रदान की जायेगी। निजी व्यय का निर्धारण जिला/मण्डलीय/उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णयानुसार किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-82 आर0आई0/छ:-पु-4-2006 दिनांक: 10-7-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अधीन अभिसूचना शाखा, सुरक्षा शाखा, विशेष कार्यबल एवं प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस शाखाओं तथा उनसे सम्बद्ध इकाईयों को उक्त अधिनियम की परिधि से अपवर्जित किया गया है।

3.3.8 शस्त्र लाइसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया:-

क्र०स०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित
1	जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना पत्र की प्राप्ति	वाचक कार्यालय पुलिस आयुक्त लखनऊ
2	संबंधित थाने को अपराधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना	सम्बन्धित जोन के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में
3	सम्बन्धित थानों द्वारा डीसीआरबी को जनपद में किये गये अपराध के संबंध में जांच किया जाना	प्रभारी डीसीआरबी
4	संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा जांच किया जाना	संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त
5	सम्बन्धित अपर पुलिस उपायुक्त द्वारा जांच किया जाना	सम्बन्धित अपर पुलिस उपायुक्त
6	जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेन्स प्रार्थना पत्र संस्तुति / असंस्तुति सहित भेजा जाना	सम्बन्धित जोन के पुलिस उपायुक्त

शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

3.3.9 विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया:-

3.3.9.1 प्राइवेट वेरीफिकेशन

क्र० स०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु0 शुल्क के रूप जमा कराया जाना	आवेदक द्वारा रु0 20/- चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में स्वयं 0055 पुलिस हैड में जमा कराया जाता है	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	1 दिवस
4	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	06 दिवस में
5	एल0आई0यू0 / डी0सी0आर0 बी0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल0आई0यू0 / सम्बन्धित थाने के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा	06 दिवस में
6	चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	01 दिवस में

3.3.9.2 पुलिस वेरीफिकेशनः—

क्र0 स0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.9.3 सर्विस वेरीफिकेशनः—

क्र0 स0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.9.4 मिलेट्री सर्विस वेरीफिकेशनः—

क्र0 स0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	मिलेट्री विभाग में चयनित सैन्य कर्मियों के सत्यापन सैन्य कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में

2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	तत्काल
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.9.5 ठेकेदारी वेरीफिकेशनः—

क्र0 स0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित रु0 20/- शुल्क के रूप में जमा कराया जाना	आवेदक द्वारा रु0 20/- चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में स्वयं 0055 पुलिस हैड में जमा कराया जाता है	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
4	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	07 दिवस में
5	संबंधित सहायक पुलिस आयुक्तद्वारा सत्यापन को संस्तुति / असंस्तुति करना	संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा	07 दिवस में
6	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल0आई0यू0 द्वारा	07 दिवस में
7	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

4 कर्तव्य के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाले मापदण्डः—

4.1 जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जाँचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्डः—

क्र0स0	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	अनुसंधान / विवेचना	दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में
2	थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	07 दिवस
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस

4	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	12 दिवस
5	फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण	15 दिवस
6	पासपोर्ट की जाँच	उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 616भा/छ: वीजा अनुभाग -4 -2005 - 17/2/ 64/99 दिनांक 21-10-2005 के अनुसार 20 दिवस में
7	शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति किया जाना	30 दिवस
8	प्राइवेट वेरीफिकेशन	14 दिवस
9	पुलिस वेरीफिकेशन	06 दिवस
10	सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
11	मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
12	ठेकेदारी वेरीफिकेशन	21 दिवस

4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्तः—

1—भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये पूर्ण सम्मान करना।

2—बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।

3—पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।

4—कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।

5—पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।

6—पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।

7—प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।

8—पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सदभाव हृदय में रखना।

9—प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।

10—हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।

11—पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।

12—पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।

13—सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख क्र०स० अधिनियम, नियम रेग्युलेशन का नामः—

- 1 पुलिस अधिनियम 1861
- 2 भारतीय दण्ड संहिता 1861
- 3 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
- 4 उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
- 5 उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
- 6 साक्ष्य अधिनियम 1872
- 7 आम्स एकट 1959
- 8 सिविल अधिकार संरक्षण अधि०1955
- 9 अनु०जाति व अनु०जनजाति० अधिनियम 1989
- 10 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधि० 1949
- 11 आवश्यक वस्तु अधि० 1955(उ०प्र०संशोधन अधि०1978)
- 12 चोर बाजारी नि० और आवश्यक वस्तु प्रदृय अधि० 1980
- 13 खाद्य अपमिश्रण नि० अधि० 1954
- 14 उपभोक्ता संरक्षण अधि० 1986
- 15 पशु अतिचार अधि० 1861
- 16 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
- 17 बन्दी अधिनियम 1900
- 18 सर्वाजनिक जुआ अधिनियम 1867
- 19 किशोर न्याय अधिनियम 1986
- 20 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
- 21 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
- 22 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
- 23 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
- 24 बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930
- 25 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980
- 26 विस्फोटक अधिनियम 1884
- 27 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
- 28 कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984
- 29 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958
- 30 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
- 31 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशेघ अधिनियम 1986
- 32 भारतीय वन अधिनियम 1927
- 33 वन संरक्षण अधिनियम 1980
- 34 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004
- 35 बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955
- 36 विष अधिनियम 1919

- 37 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
 38 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनयम 1994
 39 रेल अधिनियम 1989
 40 रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957
 41 रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966
 42 पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966
 43 पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922
 44 राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952
 45 केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995
 46 ब्याज अधिनियम 1978
 47 उ0 प्रो गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986
 48 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970
 49 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999
 50 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण नियमावली 1970
 51 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976
 52 उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948
 53 उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983
 54 उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979
 55 उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944
 56 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991
 57 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन और अपील नियमावली) 1999
 58 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955
 59 उत्तर प्रदेश गोवध नियमावली 1964
 60 उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964
 61 उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964
 62 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम 1994
 63 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
 64 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
 65 वित्तीय हस्त पुस्तिका
 66 समय—समय पर निर्गत शासनादेश
 67 उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत् समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

5. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणीः—

6.1 विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों रखे जाने वाले अभिलेखः—

क्र0स0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	ईकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि कब तक उपलब्ध रहेगी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधों के संबंध में दी	सभी पुलिस थानों	तीन साल

		गई सूचनाएं एवं विवेचक के संबंध में	पर	
2	दैनिकी सामान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी / कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में	एक साल थाने पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में
3	सभी स्टैण्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधिकारी / कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर	स्थायी रूप से रख जाएगा राजपत्रित अधिकारी के आदेश पर ही नष्ट होगी
4	भगोड़ा(मफरूर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी
5	रोकड़ बही	धनराशि की आमद व खर्च का विवरण	सभी थाने / पुलिस लाइन में	एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस आफिस रिकार्ड रूम में
6	आरोप पत्र	अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
7	चिक खुराक	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है	सभी थाने पर	तीन साल
8	356 द0प्र0सं0 के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	„	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
9	432 द0प्र0सं0 के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर	„	„	„
10	गोपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट	थानाक्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	„	एक साल
11	अपराध रजिस्टर	थानाक्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण	सभी थाने पर	पांच साल
12	चौकीदारों का अपराध नोट बुक	चौकीदारके ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकीदारों के पास	चौकीदार को जबतक नई नोट बुक प्रदान न की जाए
13	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टर न0 8)	उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप में
14	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का अल्लेख	सभी थानों / पुलिस लाइन में	एक साल पूर्ण होने के बाद
15	केस डायरी	विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानों / विवेचकों के पास	पांच साल
16	अंतिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरांत प्रेषित रिपोर्ट	सभी थानों पर	एक साल
17	अगुष्ठ छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अगुष्ठछाप लिया गया है।	सभी थाने पर	स्थायी रूप में
18	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूचक	„	तीन साल

19	गिरोह रजिस्टर	पंजीकृत गैगो का विवरण	सभी थाने पर व डीसीआरबी में	पूर्ण होने के पांच साल तक
20	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थानों पर	दो साल
21	जांचोपरान्त 'अ'	थानाक्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	„	तीन साल
22	जांच पर्ची 'ब'	थानाक्षेत्र में मिलने वाले संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिये जारी पत्र	„	„
23	सूची हिस्ट्रीशीट	दुराचारियों का विवरण	„	स्थायी रूप से
24	पंचायतनामा जिल्द	अस्वाभाविक मृत्यु की जांच का विवरण	सभी थानों पर	एक साल
25	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थानों पर व शाखाओं में	पांच साल
26	माल मसरुका रजिस्टर	चोरी/लूटी गई एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थानों पर	पांच साल
27	रिमाण्डशीट पु0प्रपत्र	अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थानों पर	एक साल
28	मजिस्ट्रेटो के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटो के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थाने पर	पूर्णता से 5 साल तक
29	109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	„	दो वर्ष
30	110 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही	अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	„	„
31	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनायें	„	स्थाई
32	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट किये जाने के आदेश तक
33	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रों संबंधी निर्देश	„	„
34	अपराधी जनजातियों का रजिस्टर	अपराधियों जनजातियों के संबंध में	समस्त थानों पर	उनके मृत्यु तक
35	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	सहायक पुलिस आयुक्तद्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची	„	निगरानी उचित समझे जाने तक
36	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	„	5 वर्षों तक
37	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	„	5 वर्षों तक
38	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	„	5 वर्षों तक
39	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खतौनी व भवनों के संबंध में।	„	स्थायी
40	गुमशुदगी रजिस्टर	गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में।	„	स्थायी
41	गिरप्तारी रजिस्टर	गिरप्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना	„	5 वर्षों तक
42	जमानत रजिस्टर	दी जाने वाली जमानतों	„	5 वर्षों तक

		का विवरण		
43	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण	„	5 वर्षों तक
44	जनशिकायत रजिस्टर	थाना कार्यालय / अन्य कार्यालय में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	समस्त थानों / कार्यालय में	2 वर्षों तक
45	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में	समस्त थानों पर	स्थायी
46	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के संबंध में	„	स्थायी
47	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	समस्त कार्यालयों में	1 वर्ष तक

6.2 सहायक पुलिस आयुक्त स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखः—

क्र0स0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	ईकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि कब तक उपलब्ध रहेगी
1	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
2	जेड रजिस्टर	केस डायरियों को न्यायालय भेजने के दिनांक सहित संक्षिप्त विवरण	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	स्थायी
3	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
4	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
5	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
6	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	01 वर्ष तक
7	विशेष अपराध पत्रावलियाँ	विशेष अपराधों का विवरण	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	स्थायी
8	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक

6.3 अपर पुलिस उपायुक्त स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखः—

क्र0 स0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	ईकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि कब तक उपलब्ध रहेगी
1	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक

2	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
3	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
4	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	01 वर्ष तक
5	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	स्थायी
6	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक

6.4 पुलिस उपायुक्त स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखः—

क्र० स०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	ईकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि कब तक उपलब्ध रहेगी
1	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	वाचक पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	स्थायी
2	हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	स्थायी
3	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
4	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में	05 वर्ष तक
5	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक कार्यालय	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
6	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
7	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	वाचक पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	01 वर्ष तक
8	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	वाचक पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	स्थायी
9	सर्विस बुक / चरित्र पंजिका	समस्त रैंकों के कर्मचारियों के सेवा इतिहास	प्रधान लिपिक कार्यालय	स्थायी
10	कैश बुक / पे-बिल रजिस्टर	समस्त भुगतानों के लेन-देन के संबंध में	आंकिक शाखा	स्थायी
11	आकस्मिकता निधि रजिस्टर	आकस्मिकता निधि पर भारित व्ययों के संबंध में	आंकिक शाखा	स्थायी
12	स्टाक रजिस्टर	सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण	पुलिस लाइन	स्थायी
13	हिन्दी आदेश पुस्तिका	समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है	पुलिस लाइन	40 वर्षों तक

7. जनता की परामर्श दात्री समितियाँः—

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर निति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है—

क्र०स०	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोष्ठियों की आवृत्ति
1	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है	गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना	समय—समय पर
2	पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेशनर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेन्शनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु	त्रैमासिक
4	जिला सड़क सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक
6	शांति समिति	क्षेत्र के सम्भान्त नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु	आवश्यकतानुसार
7	मेला समिति	मेले से संबंधित सम्भान्त व्यक्तियों की समिति	प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु	मेले के आयोजन से पूर्व
8	सांसद / विधायकगण की गोष्ठी	समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	शिकायतों के निस्तारण व सुझाव / परामर्श के लिये	मासिक

8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय:-

9. पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

10. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोन डायरेक्ट्री:-

पुलिस कमिशनरेट लखनऊ के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन / सी0य०जी0 नम्बर:-

क्र०स०	पद नाम	निवास का टेलीफोन नम्बर	कार्यालय का टेलीफोन नम्बर	मोबाईल नम्बर व्यक्तिगत	सी0य०जी0 मोबाईल नम्बर
1	पुलिस आयुक्त, लखनऊ	0522-2625983 0522-2625984	0522-2628965	—	9454400137
2	संयुक्त पुलिस आयुक्त एल0ओ0	—	0522-2628965	—	9454400154
3	संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय	—	—	—	9454400476

4	पुलिस उपायुक्त पूर्वी	—	—	—	9454400499
5.	पुलिस उपायुक्त पश्चिमी	—	—	—	9454400509
6	पुलिस उपायुक्त मध्य	—	—	—	9454400516
7	पुलिस उपायुक्त उत्तरी	—	—	—	9454400489
8	पुलिस उपायुक्त दक्षिणी	—	—	—	9454400494
9	पुलिस उपायुक्त अपराध	—	—	—	9454400523
10	पुलिस उपायुक्त महिला अपराध	—	—	—	9454400534
11	पुलिस उपायुक्त यातायात	—	—	—	9454400517
12	पुलिस उपायुक्त मुख्यालय	—	—	—	9454400531 9454492500
13	पुलिस उपायुक्त अभिसूचना एवं सुरक्षा	—	—	—	9454400532 9412579259
14	अपर पुलिस अधीक्षक प्रोटोकाल लखनऊ	—	—	—	9454401084
15	अपर पुलिस उपायुक्त, विधानसभा सचिवालय सुरक्षा लखनऊ	—	—	—	9454401503
16	अपर पुलिस उपायुक्त हाईकोर्ट सुरक्षा	—	—	—	9454458186
17	अपर पुलिस उपायुक्त नगर पूर्वी	—	—	—	9454458038
18	अपर पुलिस उपायुक्त नगर पश्चिमी	—	—	9628901109	9454401088
19	अपर पुलिस उपायुक्त नगर मध्य	—	—	9793391112	9454401087
20	अपर पुलिस उपायुक्त नगर उत्तरी	—	—	9412840688	9454401086
21	अपर पुलिस उपायुक्त अपराध	—	—	—	9454401089
22	अपर पुलिस उपायुक्त यातायात प्रथम	—	—	—	9454401085
23	अपर पुलिस उपायुक्त यातायात द्वितीय	—	—	—	9454403391
24	अपर राज्य रेडियो अधिकारी	—	—	—	9454404754
25	सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज	—	0522—2625143	—	9454401495
26	सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद				9454400629
27	सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट	—	—	—	9454405234
28	सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर	—	0522—2470795	—	9454401490
29	सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग	—	0522—2221702	—	9454401497
30	सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला	—	0522—2241222	—	9454401496
31	सहायक पुलिस आयुक्त	—	0522—2255200	—	9454401491

	चौक				
32	सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज	—	0522-2324930	—	9454401494
33	सहायक पुलिस आयुक्त महानगर	—	0522-2389207	—	9454401498
34	सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर	—	—	—	9454401186
35	सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर	—	0522-2349793	—	9454401499
36	सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज	—	0522-2821218	—	9454401493
37	सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड	—	—	—	9454405381
38	सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी	—	—	—	9454401492
39	सहायक पुलिस आयुक्त बी0के0टी0 / लाइन्स				9454401500
40	सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज				9454405397
41	सहायक पुलिस आयुक्त लेखा (आंकिक)	—	—	8726100100	
42	सहायक पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था	—	—	8299160237	—
43	सहायक पुलिस आयुक्त अपराध-प्रथम	—	—		9454405406
44	सहायक पुलिस आयुक्त यातायात प्रथम	—	—		7355513763
45	सहायक पुलिस आयुक्त यातायात द्वितीय	—	—		9415034058
46	सहायक पुलिस आयुक्त यातायात तृतीय / कार्यालय	—	—	—	9454402000
47	सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध प्रथम	—	—		9454405397
48	पुलिस उपाधीकाक अभिसूचना (प्रज्ञान)	—	0522-2286635	—	9454401504
49	प्रतिसार निरीक्षक लाइन्स प्रथम	—	0522-2780655	—	9454402379
50	प्रतिसार निरीक्षक लाइन्स द्वितीय	—	0522-2781408	—	9454403881
51	प्र०नि० हजरतगंज	—	0522-2622555	—	9454403853
52	प्र०नि० महिला थाना	—	0522-2625251	—	9454403860
53	प्र०नि० हुसैनगंज	—	0522-2615352	—	9454403854
54	प्र०नि० गौतमपल्ली	—	0522-2235078	—	9454402406
55	प्र०नि० कैण्ट	—	0522-2483724	—	9454403845
56	प्र०नि० पीजीआई	—	0522-2668882	—	9454403876
57	प्र०नि० आशियाना	—	0522-2425896	—	9454403841
58	प्र०नि० आलमबाग	—	0522-2451205	—	9454403838
59	प्र०नि० मानकनगर	—	0522-2454098	—	9454403863
60	प्र०नि० कृष्णानगर	—	0522-2473918	—	9454403858

61	प्र०नि० सरोजनीनगर	—	0522-2436600	—	9454403869
62	प्र०नि० बन्थरा	—	0522-2861661	—	9454403843
63	प्र०नि० कैसरबाग	—	0522-2622767	—	9454403857
64	प्र०नि० अमीनाबाद	—	0522-2624635	—	9454403840
65	प्र०नि० नाका	—	0522-2684286	—	9454403867
66	प्र०नि० चौक	—	0522-2255742	—	9454403847
67	प्र०नि० वजीरगंज	—	0522-2623836	—	9454403874
68	प्र०नि० ठाकुरगंज	—	0522-2409991	—	9454403872
69	प्र०नि० बाजारखाला	—	0522-2269004	—	9454403844
70	प्र०नि० सआदतगंज	—	0522-2649556	—	9454403870
71	प्र०नि० तालकटोरा	—	0522-2418718	—	9454403871
72	प्र०नि० अलीगंज	—	0522-2324930	—	9454403839
73	प्र०नि० मड़ियाव	—	0522-2362600	—	9454403864
74	प्र०नि० जानकीपुरम्	—	0522-2730669	—	9454403878
75	प्र०नि० महानगर	—	0522-2329867	—	9454403859
76	प्र०नि० हसनगंज	—	0522-2740743	—	9454403852
77	प्र०नि० विकासनगर	—	0522-2739110	—	9454403873
78	प्र०नि० गाजीपुर	—	0522-2344900	—	9454403848
79	प्र०नि० गुडम्बा	—	0522-2361655	—	9454403851
80	प्र०नि० इन्दिरानगर	—	0522-2719053	—	9454403883
81	प्र०नि० गोमतीनगर	—	0522-2393400	—	9454403849
82	प्र०नि० गोमतीनगर विस्तार	—	—	—	9454457927
83	प्र०नि० चिनहट	—	0522-2815834	—	9454403846
84	प्र०नि० विभूतिखण्ड	—	0522-2728891	—	9454403880
85	प्र०नि० मोहनलालगंज	—	0522-2821223	—	9454403865
86	प्र०नि० गोंसाईगंज	—	0522-2836453	—	9454403850
87	प्र०नि० नगराम	—	0522-2827753	—	9454403866
88	प्र०नि० सुशान्त गोल्फ सिटी	—	—	—	9454458330
89	प्र०नि० काकोरी	—	0522-2898230	—	9454403856
90	प्र०नि० पारा	—	—	—	9454403875
91	प्र०नि० मलिहाबाद	—	—	—	9454403862
92	प्र०नि०रहीमाबाद	—	—	—	9415062661
93	प्र०नि० माल				9454403861
94	प्र०नि० दुबगगा				9454405156
95	प्र०नि० मदेयगंज				9454405154
96	प्र०नि० बी०के०टी०				9454403842
97	प्र०नि० इटौंजा				9454403855
98	प्र०नि० सैरपुर				9454403879
99	प्र०नि० महिगवां				9454400711
100	प्र०नि० महिला थाना द्वितीय				7839877216
101	प्र०नि० बी०बी०डी०				9454405398
102	प्र०नि० निगोहा				9454403868
103	प्र०नि० बिजनौर				9454405395

10 महानगरीय क्षेत्र लखनऊ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिकः—

10.1 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिकः—

क्र०स०	पद	वेतनमान/वेतनबैण्ड	मैट्रिक लेवल	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1	पुलिस आयुक्त	144200—218200	14	—	—
2	संयुक्त पुलिस आयुक्त	131100—216600	13	—	—
3	पुलिस उपायुक्त	78800—209200	12	—	—
4	अपर पुलिस उपायुक्त	78800—209200	12	800	300
5	सहायक पुलिस आयुक्त	56100—177500	10	800	300
6	निरीक्षक	44500—142400	7	1500	188
7	प्रतिसार निरीक्षक	44500—142400	7	1500	188
8	उपनिरीक्षक	35400—112400	6	1500	188
9	हेंडका०प्रो०	29200—84500	5	1875	188
10	हेंडका०	25500—74200	4	1875	188
11	आरक्षी	21700—63200	3	1875	188

10.2 रेडियो शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिकः—

क्र०स०	पद	वेतनमान/वेतनबैण्ड	मैट्रिक लेवल	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1	अपर राज्य रेडियो अधिकारी	78800—2,09200	12	800	300
2	सहायक रेडियो अधिकारी	56100—177500	10	800	300
3	रेडियो निरीक्षक	47600—151100	08	1500	188
4	रेडियो उपनिरीक्षक	44900—142400	07	1500	188
5	प्रधान परिचालक	35400—112400	06	1500	188
6	सहायक परिचालक	25500—81100	04	1875	188
7	कर्मशाखा सहायक	21700—69100	03	1875	188
8	संदेश वाहक	18000—56900	01	—	—

10.3 फायर सर्विसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिकः—

क्र०स०	पद	वेतनमान/वेतनबैण्ड	मैट्रिक लेवल	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी	56100—177500	10	800	300	—
2	अग्नि शमन अधिकारी	44500—142400	7	1500	188	—
3	अग्नि शमन अधिकारी	35400—112400	6	1500	188	—

	द्वितीय					
4	फायर सर्विस चालक	25500–74200	4	1875	188	—
5	लीडिंग फायर मैन	25500–74200	4	1875	188	—
6	फायर मैन	21700–63200	3	1875	188	—

10.4 लिपिक वर्गीयकेअधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन /पारितोषिक:-

क्र0स0	पद	वेतनमान/वेतनबैण्ड	मैट्रिक लेवल	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1	स्टैनो	35400–112400	6	1500	—	188
2	एस0आई0एम0	35400–112400	6	1500	—	188
3	ए0एस0आई0एम0	29200–84500	5	1875	—	188

10.5 परिवहन शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन /पारितोषिक:-

क्र0स0	पद	वेतनमान/वेतनबैण्ड	मैट्रिक लेवल	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1	निरीक्षक एम0टी0	44500–142400	7	1500	—	188
2	उपनिरीक्षक एम0टी0	35400–112400	6	1500	—	188
3	मुख्य आरक्षी	25500–74200	4	1875	—	188
4	आरक्षी चालक	21700–63200	3	1875	—	188

10.6 स्थानीय अभिसूचना इकाईके अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन /पारितोषिक:-

क्र0स0	पद	वेतनमान/वेतनबैण्ड	मैट्रिक लेवल	पौष्टिक आहार भत्ता	विशेष भत्ता
1	पुलिस उपाधीक्षक प्रज्ञान	56100–177500	10	800	2500
2	निरीक्षक	44500–142400	7	1500	—
3	उपनिरीक्षक	35400–112400	6	1500	—
4	मुख्य आरक्षी	25500–74200	4	1875	—
5	आरक्षी	21700–63200	3	1875	—

11.0 बजटः—

बजट वित्तीय वर्ष 2023–24, पुलिस कमिशनरेट लखनऊ।				
2055 पुलिसआयोजनेतर 109 जिलापुलिस 03 जिलापुलिसमुख्य				
क्र०स 0	मानक मद	प्राप्त अनुदान	व्यय अनुदान	शेष अनुदान
1	01 वेतन	5557663104	5581547229	23884125
2	02 मजदूरी	2157797	2157797	0
3	03 महगाईभत्ता	2489834704	2481349800	8484904
4	04 यात्राव्यय	354690736	351536741	3153995
5	05 स्थायों यात्राव्यय	5359000	8269886	-2910886
6	06 अन्यभत्ता	348637192	368031058	19393866
7	08 कार्यालयव्यय	9710500	9758927	-48427
8	09 विधुतव्यय(गुपिंगव्यवस्थाकेअन्तर्गत 10- जलकर/सीवरकरएंवगृहकरकेदेयकोकेभुगतानव्ययहेतु)	37350000	35808629	1541371
9	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मांकिछपाई	7432000	7311816	120184
10	12 कार्यालयफर्नीचरएंवउपकरण	5868000	5864219	3781
11	16 व्यवसायिकतथाविशेषसेवाओंकेलियेभुगतान	7224000	5153458	2070542
12	17 किरायाउपशुल्कएंवकरस्वामित्व	20468527	21965386	-1496859
13	23 गुप्तसेवाव्यय	161000	161000	0
14	29 अनुरक्षणमुख्य	76173151	60455481	15717670
15	42 अन्यव्यय	131224792	131266118	-41326
16	42 अन्यव्यय-भारित(क्लेमोपि0सं0-604/2009 डा०धर्मसिंहबनामउ0प्र0राज्यवअन्यमेंमान्याया0	274169	274169	0
	मोटरदुर्घटनादावाअधि० द्वारापारितनिर्णयदिनांक 17.11.2023 केसम्बन्धमें)			
17	44 प्रशिक्षणहेतुयात्राएंवअन्यप्रासंगिकव्यय	1031670	1031670	0
18	45 अवकाशयात्राव्यय	214000	386462	-172462
19	46 कम्प्यूटरहार्डवेयर/साफ्टवेयरकाक्रय	3287836	3275404	12432
20	47 कम्प्यूटरअनुरक्षण/तत्सम्बन्धीस्टेशनरीकाक्रय	7552628	7551273	1355
21	49 चिकित्साव्यय	45534000	45533684	316
22	51 वर्दीव्यय(गुपिंगव्यवस्थानुसारमानकमद 08- कार्यालयव्ययकेलम्बितबिलोंकेभुगतानहेतु)	6276974	6276694	280
23	55 मकानकिरायाभत्ता	404592000	369781774	34810226
24	58 आउटसोर्सिंगसेवाओंहेतुभुगतान	21643222	21603164	40058

2055 पुलिसआयोजनेतर 800 अन्यव्यय 05 लोकसभाचुनाव				
1	04 यात्राव्यय	95960000	95959474	526
2	08 कार्यालयव्यय	358000	393565	-35565
3	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मांकिछपाई	358000	322950	35050
4	13 टेलीफोनपरव्यय	179000	179000	0
5	15 मोटरगाडियोंकाअनुरक्षणएंवपेट्रोलआदिकेखरीद	230000	229325	675
6	42 अन्यव्यय(अग्निशमनविभागहेतु)	71673741	53140387	18533354
2055 पुलिस 800अन्यव्यय 15 30प्र०सडकसुरक्षाकोषसेव्यय				
1	42 अन्यव्यय(रोडसेफटीतथायातायातकञ्जेशनकेसम्बन्धमेंऔरअधिकजागरूकतालाने हेतुविभिन्न	4104000	4066327	37673
	कार्य जैसे राहगीर दिवस, यातायात दिवस इत्यादि हेतु)			
2055 पुलिसआयोजनेतर 109 जिलापुलिस 07 जिलापुलिसथाना				
1	02 मजदूरी	3108000	3108000	0
2	08 कार्यालयव्यय	7627000	7606733	20267
3	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मांकिछपाई	2873000	2872971	29
4	12 कार्यालयफर्नीचरएंवउपकरण	2468000	2465830	2170
5	15 मोटरगाडियोंकाअनुरक्षणएंवपेट्रोलआदिकेखरीद	27130000	27129685	315
6	23 गुप्तसेवाव्यय	399000	399000	0
7	29 अनुरक्षण	6985665	6985662	3
8	42 अन्यव्यय	3926000	3925064	936
9	46 कम्प्यूटरहार्डवेयर/साफ्टवेयरकाक्रय	22383000	22375100	7900
10	47 कम्प्यूटरअनुरक्षण/तत्सम्बन्धीस्टेशनरीकाक्रय	8053000	8052605	395
11	58 आउटसोर्सिंगसेवाओहेतुभुगतान	464000	464000	0
2055 पुलिसआयोजनेतर 001 निदेशनऔरप्रशासन 03 राज्यमुख्यालय				
1	15 डीजलपेट्रोल/मोटरअनुरक्षण(रु0-2,10,000 रूल्सएण्डमैनुअल/रु0-2,10,000 मानवाधिकारहेतु)	1100000	1099966	34
2055 पुलिसआयोजनेतर 003 शिक्षाऔरप्रशिक्षणमुख्य 04 शिक्षाऔरप्रशिक्षण				
1	02 मजदूरी	1467000	1467000	0
2	08 कार्यालयव्यय	640000	639526	474
3	12 कार्यालयफर्नीचरएंवउपकरण	505000	502900	2100
4	29 अनुरक्षण	1650000	1649377	623

5	42 अन्यव्यय	2152300	2152542	-242
6	44 प्रशिक्षणहेतुयात्राएवंअन्यप्रासांगिकव्यय	310000	280808	29192
7	49 चिकित्साव्यय	401000	400726	274
	2055 पुलिस 109 जिलापुलिस 18 पुलिसरिकार्डकाडिजिटाइजेशन			
1	42 अन्यव्यय	1127000	1125720	1280
	2055 पुलिस 109 जिलापुलिस 04 राज्यरेडियोअनुभाग-मुख्य			
1	08 कार्यालयव्यय	15000	14809	191
2	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मांकीछपाई	2000	1982	18
3	15 मोटरगाडियोंकाअनुरक्षणएवंपेट्रोलआदिकेखरीद	20000	19860	140
4	29 अनुरक्षण	30000	30000	0
	2055 पुलिसआयोजनेतर 109 जिलापुलिस 05 मोटरपरिवहनअनुभाग			
1	15 मोटरगाडियोंकाअनुरक्षणएवंपेट्रोलआदिकेखरीद	378620000	378619459	541
	2055 पुलिस 109जिलापुलिस 09 क्राइमब्रांच			
1	02 मजदूरी	8000	8000	0
2	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मांकीछपाई	8000	6120	1880
3	12 कार्यालयफर्नीचरएंवउपकरण	250000	248390	1610
4	16 व्यवसायिकतथाविशेषसेवाओंकेलियेभुगतान	3500	0	3500
5	29 अनुरक्षण	2000	1994	6
6	42 अन्यव्यय	3500	3500	0
7	46 कम्प्यूटरहार्डवेयर/साफ्टवेयरकाक्रय	3500	3500	0
8	47 कम्प्यूटरअनुरक्षण/तत्सम्बन्धीस्टेशनरीकाक्रय	2000	2000	0
9	58 आउटसोर्सिंगसेवाओहेतुभुगतान	2000	2000	0
	2055 पुलिसआयोजनेतर 109 जिलापुलिस 12 स्मार्टसिटीसर्विलांससिस्टम			
1	08 कार्यालयव्यय	900000	898539	1461
	2055 पुलिस 109जिलापुलिस 13 डायल 100 परियोजना			
1	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मांकीछपाई(आर0ओ0आई0पी0 कार्यालयकेलेखनसामग्रीकेभुगतानहेतु)	5000	4985	15
2	08 कार्यालयव्यय	175000	172639	2361
3	15 मोटरगाडियोंकाअनुरक्षणएवंपेट्रोलआदिकेखरीद	13568960	13568498	462
4	19 विज्ञापनबिक्रीऔरविछ्यापनव्यय	549220	547163	2057
5	44 प्रशिक्षणहेतुयात्राएवंअन्यप्रासांगिकव्यय	305580	305522	58

2055 पुलिस 109 जिलापुलिस 17 पुलिसविभागमेंकनेक्टिविटी				
1	42 अन्यव्यय-CCTNSयोजनाकेअंतर्गतसभी CCTNS नोड्सपर VPN OVER INTERNET कनेक्टिविटी	897400	890700	6700
	उपलब्धकरायेजानेहेतु			
2055 पुलिस 110 ग्रामपुलिस 03 ग्रामपुलिसअधिष्ठान				
1	08 कार्यालयव्यय	412000	411700	300
2	42 अन्यव्यय	12000	11977	23
2055 पुलिस 113 पुलिसकार्मिकोंकाकल्याण 03 पुलिसकार्मिकोंकीसुखसुविधा				
1	42 अन्यव्यय(सुखसुविधा)	888000	887963	37
2055 पुलिसआयोजनेतर 113 04 01 चिकित्सालयव्यय				
1	08 कार्यालयव्यय	9000	8998	2
2	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मांकीछपाई	5800	5795	5
3	12 कार्यालयफर्नीचरएंवउपकरण	4000	3950	50
4	39 औषधितथारसायन	32000	31975	25
5	40 औषधालयसम्बन्धीआवश्यकसज्जा	14000	13992	8
6	42 अन्यव्यय	8000	7990	10
7	43 सामग्रीएंवसम्पूर्ति	288000	287845	155
2055 पुलिस 113पुलिसकार्मियोंकाकल्याण 06 पुलिसबेनीबोलेण्टफण्ड				
1	20 सहायताअनुदान-सामान्य(गैरवेतन)	342602	342576	26
2055 पुलिसआयोजनेतर 113 पुलिसकार्मिकोंकाकल्याण 09 पुलिसकल्याणकेलिएविशिष्टअनुदान				
1	42 अन्यव्यय(कल्याणनिधि)	1047000	1046539	461
2070 अन्यप्रशासनिकसेवायें 108 अग्निसेसंरक्षणएंवनियंत्रण 03 प्रशासनकेविभिन्नमानकमद				
1	01 वेतन	181692000	191291597	-9599597
2	03 महगाइभत्ता	99475600	84264409	15211191
3	04 यात्राव्यय	1868372	1909416	-41044
4	05 स्थान यात्राव्यय	36000	0	36000
5	06 अन्यभत्ता	8708000	9746009	-1038009
6	08 कार्यालयव्यय	44000	43986	14
7	09 विधुतव्यय(ग्रुपिंगव्यवस्थाकेअन्तर्गत 17- किरायाउपशुल्ककेलम्बितदेयकोकेभुगतानहेतु)	1758500	1758257	243
8	10 जलकर/जलप्रभार	6312932	6312932	0

9	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मांकीछपाई	30600	30584	16
10	12 कार्यालयफर्नीचरएंवउपकरण	78340	78045	295
11	13 टेलीफोनपरव्यय	8800	8534	266
12	15 मोटरगाडियोंकाअनुरक्षणएंवपेट्रोलआदिकेखरीद	11455400	11454243	1157
13	17 किरायाउपशुल्कएंवकरस्वामित्व	196387	193442	2945
14	18 प्रकाशन	265000	264995	5
15	29 अनुरक्षण	1034386	1034374	12
16	42 अन्यव्यय	0	0	0
17	44 प्रशिक्षणहेतुयात्राएंवअन्यप्रासांगिकव्यय	203000	202354	646
18	45 अवकाशयात्राव्यय	5200	0	5200
19	46 कम्प्यूटरहार्डवेयर/साफ्टवेयरकाक्रय	78000	77976	24
20	47 कम्प्यूटरअनुरक्षण/तत्सम्बन्धीस्टेशनरीकाक्रय	24000	23972	28
21	49 चिकित्साव्यय	3154131	3154101	30
22	51 वर्दीव्यय	110000	109641	359
23	55 मकानकिरायाभता	6431600	6930560	-498960

**2235 सामाजिकसुरक्षातथाकल्याणआयोजनेतर 60 अन्यसामाजिकतथाकल्याणकार्यक्रम 800 अन्यव्यय 04
लावारिशशब्दोंकेअन्तिमसंस्कारहेतु**

1	42 अन्यव्यय	296400	296400	0
---	-------------	--------	--------	---

4055 पुलिसपरपूँजीगतपरिव्यय 207 राज्यपुलिस 01 केन्द्रप्रायोजितयोजनाएं 10 महिलाहेल्पडेस्क

1	42 अन्यव्यय(नवनिर्मितथानाबिजनौर, सैरपुर, बीबीडी, मदेयगंज, दुबरगा, महिलाथाना, रहीमाबादमें	700000	699300	700
	महिला हेल्पडेस्क की स्थापना हेतु प्रति थाना रु0 01 लाख)			

4055 पुलिसपरपूँजीगतपरिव्यय 207 राज्यपुलिस 03 गृह(पुलिस)

1	25 लघुनिर्माण-(30प्र० पुलिसमुख्यालयहेतु)	17738295	17684995	53300
---	--	----------	----------	-------

4055 पुलिसपरपूँजीगतपरिव्यय 207 राज्यपुलिस 21 उत्तरप्रदेशसङ्करकसुरक्षाकोषसेव्यय

1	26 मशीनसाजसज्जासुरक्षाहेतु	6236000	4873866	1362134
---	----------------------------	---------	---------	---------

4070 अन्यप्रशासनिकसेवाओंपरपूँजीगतपरिव्यय 800 अन्यव्यय 09 जिलापुलिस-मुख्य

1	26 मशीनेंऔरसज्जा/उपकरणऔरसंयत्र-(समस्तथानोंपर CCTV CAMERA अधिष्ठापितकरायेजानेहेतु)	1617000	1615320	1680
---	---	---------	---------	------

12. सब्सिडी कार्यक्रम के निस्पादन का ढंग:-

वर्तमान में विभाग में कोई सब्सिडी कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरणः—शून्य

14. इलेक्ट्रनिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता:-

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

15. अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधाएः—

जनपद मुख्यालय स्तर पर एक जन सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसके द्वारा निम्नानुसार कार्य सम्पादित किया जाता है।

क्र.स.	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1	सूचना प्राप्त करने के इच्छुक नागरिकों से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाते हैं।	पुलिस आयुक्त लखनऊ कार्यालय के आंकिक शाखा में।	प्रातः 10 बजे से शाम 17:00 बजे तक (राजकीय अवकाशों का छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	सम्बन्धित थाना/कार्यालय	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	रजिस्टर्ड डाक/आनलाइन आरटी0आई0 पोर्टल के माध्यम से आवेदक के पते पर।	30 दिवस तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतन्त्रता के संबंध में 48 घण्टे।
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रु0) प्रथम घण्टा, निःशुल्क, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु0 प्रति 15 मिनट)	पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रु0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम—

वर्तमान समय में जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय हैं, तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस आयुक्त लखनऊ के आदेश दिनांक 23.01.2020 के माध्यम से पुलिस उपायुक्त मुख्यालय लखनऊ को नामित किया गया है।

कमिशनरेट लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले सहायक जनसूचना अधिकारी

क्र0सं0	जोन	नामित सहायक जनसूचना अधिकारी
1	पूर्वी जोन	सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट
		सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर
		सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड
2	पश्चिमी जोन	सहायक पुलिस आयुक्त चौक
		सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला
		सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद
		सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी
3.	उत्तरी जोन	सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज
		सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर
		सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी
4.	दक्षिणी जोन	सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज
		सहायक पुलिस आयुक्त गोंसाईगंज
		सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर
5.	मध्य जोन	सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज
		सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग
		सहायक पुलिस आयुक्त महानगर

17. अन्य कोई विहित सूचना— शून्य

पत्र सं0—व—475 / 05(68 बी) / 2020
दिनांक—जून 24.2024

अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/
जनसूचना अधिकारी
कमिशनरेट लखनऊ।